सत्यमेव जयते

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्षों के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड, देहरादून

31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा),

उत्तराखण्ड, देहरादून

विषय सूची		
विवरण	**प्रस्तर**	**पृष्ठ सं**

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ सं
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
भाग-1: पंचायती राज संस्थाएँ		
अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन		
परिचय	1.1	1
वर्गीकरण,शक्तियाँ एवं कार्य	1.2	1
संगठनात्मक संरचना	1.3	2
लेखापरीक्षा व्यवस्था	1.4	3
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी जी एस)	1.4.1	3
लेखापरीक्षा आच्छादन	1.4.2	4
संसाधन: प्रवृत्तियाँ और संयोजन	1.5	4
मानव संसाधन	1.6	6
प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा (पी ए)	1.7	7
विषयों का हस्तान्तरण न होना	1.8	8
आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	1.9	8
कम्प्यूटरीकरण	1.10	8
अन्य अनियमितताएँ	1.11	8
निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही न बनाया जाना	1.11.1	8
अग्रिम पंजिका का रख-रखाव न किया जाना	1.11.2	9
बजट तैयार न किया जाना	1.11.3	9
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र)	1.12	9
अध्याय-2: पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
परिचय	2.1	11
राजस्व संग्रहण में कमी	2.1.1	11
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)	2.1.2	12
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु उप-कर की कटौती न किया जाना	2.1.3	12
परियोजनाओं/निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना	2.1.4	13
अर्जित ब्याज का अनियमित अवधारण	2.1.5	13
रॉयल्टी जमा न किया जाना	2.1.6	14
सतत अनियमितताएँ	2.1.7	14
रोचक तथ्य	2.1.8	15

भाग-II: शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन		
परिचय	3.1	17
अधिनियम का निर्धारण	3.2	17
शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति	3.3	17
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.4	17
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना	3.5	18
स्थायी समितियाँ	3.6	18
मानव संसाधन	3.7	18
स्थानीय निकायों की वित्तीय रूपरेखा	3.8	19
शहरी स्थानीय निकायों में निधि प्रवाह	3.8.1	19
शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन	3.8.2	19
संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन	3.8.3	19
अव्ययित अवशेष	3.8.3.1	20
कार्यों का हस्तांतरण	3.9	20
स्थानीय निकायों में लेखांकन प्रणाली	3.10	21
वैधानिक आवश्यकताएँ एवं लेखांकन व्यवस्था	3.10.1	21
लेखांकन का आधार एवं अवधि	3.10.2	21
लेखापरीक्षा आच्छादन	3.11	22
प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा	3.11.1	22
लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया	3.11.2	22
अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
परिचय	4.1	25
राजस्व की कम वसूली	4.2	25
गृह कर का कम संग्रहण	4.2.1	25
₹ 2.01 करोड़ के दुकान के किराये की वसूली न होना	4.2.2	26
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अनुपालन न किया जाना	4.3	26
सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों की ₹ 52.88 करोड़ की देयता का सृजन	4.4	27
नई अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन	4.5	28
अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली	4.6	29
ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न किया जाना	4.7	29
₹ 9.31 लाख का निष्फल व्यय	4.8	30
श्रमिक उप-कर की कटौती न किया जाना	4.9	30
बिना कोई व्यय किए ₹ 40 लाख मूल्य के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना	4.10	31

परिशिष्ट		
विवरण	**परिशिष्ट सं**	**पृष्ठ सं**
उत्तराखण्ड में पंचायतों की जिलेवार संख्या	1.1	33
लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवशक्ति की व्यवस्था	1.2	34
भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों का हस्तांतरण	1.3	35
वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायतीराज संस्थाओं की संख्या	2.1	36
कटौती न किये गए श्रम उप-कर का विवरण	2.2	37
अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण	2.3	38
सुसंगत शीर्ष में जमा न किये गये ब्याज का विवरण	2.4	39
सुसंगत शीर्ष में जमा न की गयी रॉयल्टी का विवरण	2.5	40
ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान का विवरण	2.6	41
उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों की जिलेवार संख्या (31 मार्च 2019 तक)	3.1	42
शहरी स्थानीय निकायों में गठित स्थायी समितियों का विवरण	3.2	43
वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	3.3	44
लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों की सूची	4.1	45
गृह कर का कम संग्रहण	4.2	46
लंबित दुकान किराये का विवरण	4.3	47
ठोस अपशिष्ट का विवरण	4.4	48
सेवानिवृत्त / सेवारत कर्मचारियों के बकाया के सापेक्ष देयता का विवरण	4.5	49
नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण	4.6	50

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अधीन पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा में सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन के रूप में 31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन उत्तराखंड सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है। प्रतिवेदन में कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन संबन्धित प्रशासनिक विभागों सहित, पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा परिणामों को भी सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए मामलों के साथ साथ वे सारे मामले जो पूर्व वर्षों में संज्ञान में आए परंतु जिन्हें पूर्व के प्रतिवेदनों में शामिल नही किया जा सका, इस प्रतिवेदन में, जहां आवश्यक थे, समाहित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित की गयी है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

यह प्रतिवेदन दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-3 में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के स्वरूप एवं वित्तीय संसाधनों पर विवरण शामिल हैं। अध्याय-2 एवं अध्याय-4 में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेनदेन की लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष समाहित हैं। इस कार्यकारी सारांश में लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक सारांश प्रस्तुत हैं।

अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन

राज्य में 13 जिला पंचायतें, 95 क्षेत्र पंचायतें एवं 7,793 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज संस्थाओं का समग्र नियंत्रण निदेशक, पंचायती राज संस्था के माध्यम से प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन में निहित होता है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में विषयों के हस्तान्तरण, आंतरिक लेखापरीक्षा, कम्प्यूटीकरण, रोकड़ बही तैयार करने, अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव और बजट की तैयारी के संबंध में कई कमियाँ पायी गईं।

अध्याय-2: पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा परिणाम

- 11 जिला पंचायतों में वर्तमान प्रावधानों के अनुसार विभव एवं सम्पत्ति कर तथा किराये/पट्टे से आय का निर्धारण एवं वसूली नहीं की जा रही थी। इसके अतिरिक्त**,** 11 जिला पंचायतों में करों एवं किराए की वसूली में ₹ 9.04 करोड़ तक की कमी देखी गई।

  (प्रस्तर 2.1.1)

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत, चंपावत एव चमोली जिलों में ₹ 8.74 करोड़ की लागत के 528 कार्य, ₹ 4.90 करोड़ व्यय होने के बाद भी अपूर्ण थे। चमोली जिले में चार पर्यटक अतिथि गृह, जो 2015-16 के दौरान ₹ 87.52 लाख की लागत से पूर्ण किए गए थे, अप्रयुक्त पड़े थे और कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हो रहा था।

  (प्रस्तर 2.1.2)

- 18 पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 51.91 लाख की राशि का श्रम उप-कर नहीं काटा गया था।

  (प्रस्तर 2.1.3)

- छः योजनाओं के अंतर्गत, ₹ 24.62 करोड़ की लागत के 1,005 कार्य ₹ 17.16 करोड़ की उपलब्धता के बाद भी अपूर्ण थे।

  (प्रस्तर 2.1.4)

- मार्च 2019 तक 31 पंचायती राज संस्थाओं में, विभिन्न योजना निधियों पर अर्जित ब्याज ₹ 6.40 करोड़ को अनियमित रूप से रखा गया था। ब्याज को सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में जमा किया जाना था।

  (प्रस्तर 2.1.5)

- 10 पंचायती राज संस्थाओं में से आठ ने ठेकेदारों के बिलों से ₹ 17.31 लाख की रॉयल्टी की कटौती नहीं की थी और शेष दो ने ₹ 6.30 लाख की रॉयल्टी की कटौती की लेकिन संबंधित लेखा शीर्ष में जमा नहीं की गई।

(प्रस्तर 2.1.6)

- ग्राम पंचायतों में बैंक समाधान, आन्तरिक लेखापरीक्षा, समितियों एवं उप-समितियों की बैठकों तथा सी ए जी द्वारा प्रस्तावित प्रारूपों में खातों का रखरखाव न करना जैसी सतत अनियमितताएँ थी।

(प्रस्तर 2.1.7)

- वर्ष 2017-19 के दौरान, ग्राम पंचायतों में बिल पंजिका, अग्रिम पंजिका, भण्डार पंजिका, अचल संपत्ति पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, चैक निर्गत पंजिका और प्राप्ति पंजिका जैसी महत्वपूर्ण पंजिकाओं का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। ₹ 48.17 करोड़ की रिवोलविंग निधि, जिसका उपयोग जिला पंचायत के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों के लिए किया जाना था, का अवरोधन था ।

(प्रस्तर 2.1.8)

अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

राज्य में आठ नगर निगम, 41 नगरपालिका परिषद एवं 43 नगर पंचायतें हैं। शहरी स्थानीय निकायों का सम्पूर्ण नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्रमुख सचिव (शहरी विकास) उत्तराखण्ड शासन में निहित होता है। लेखापरीक्षा में शहरी स्थानीय निकायों के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने संबंधी अपर्याप्त क्षमता, वित्तीय वर्ष के अंत में अव्ययित अवशेष, आदि जैसी कई कमियाँ पायी गईं।

अध्याय-4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

- गृह कर का संग्रहण, मांग के सापेक्ष 13 से 74 *प्रतिशत* के बीच था। 12 में से छः शहरी स्थानीय निकाय कुल कर मांग के सापेक्ष 50 *प्रतिशत* गृह कर भी वसूल नही कर सकीं। इसके अतिरिक्त, निदेशालय के निर्देशानुसार, कोई भी शहरी स्थानीय निकाय 2016-17 और 2017-18 के दौरान 90 *प्रतिशत* से अधिक गृह कर वसूल करने में सक्षम नहीं थी।

(प्रस्तर 4.2.1)

- 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2018 को क्रमशः सात एवं चार शहरी स्थानीय निकायों में दुकान किराया प्रभार की ₹ 138.39 लाख और ₹ 62.52 लाख की वसूली लम्बित थी।

(प्रस्तर 4.2.2)

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था क्योंकि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान 11 शहरी स्थानीय निकायों में कम्पोस्ट प्लांट, प्रोसेसिंग

यूनिट एवं वैज्ञानिक लैंडफिल की अनुपलब्धता के कारण ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं प्रसंस्करण नहीं हुआ था।

(प्रस्तर 4.3)

- चार शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों से पता चला कि शहरी स्थानीय निकायों के सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति उपदान, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और वेतन/बकाया के प्रति ₹ 52.88 करोड़ की देयताएं थीं।

(प्रस्तर 4.4)

- नमूना-जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों में से किसी ने भी योजना प्रारंभ होने के 12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी योजना के प्रावधानों के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधानों को लागू नहीं किया।

(प्रस्तर 4.5)

- वर्ष 2016-18 की अवधि के दौरान, अचल संपत्तियों पर ₹ 33.31 लाख के स्टाम्प शुल्क की कम वसूली हुई।

(प्रस्तर 4.6)

- नगरपालिका परिषद मंगलौर, नरेंद्र नगर, पौड़ी, ऋषिकेश, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक, नगरपालिका परिषद गोपेश्वर एवं नगर निगम कोटद्वार में निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों के बिलों से ₹ 13.52 लाख की रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई।

(प्रस्तर 4.7)

- नगरपालिका परिषद, नैनीताल ने घर-घर जाकर कूड़ा संग्रहण और लैंडफिल तक कचरा परिवहन की सेवाएं देने के लिए ₹ 9.31 लाख की लागत से दो वाहन खरीदे। दोनों वाहन क्रय की तिथि से अनुपयोगी पड़े थे क्योंकि पांच साल बीत जाने के बाद भी उनका एक किलोमीटर तक भी उपयोग नहीं किया गया था।

(प्रस्तर 4.8)

- नगरपालिका परिषद गोपेश्वर, मसूरी और नगर निगम कोटद्वार में ठेकेदारों के बिलों से श्रम उप-कर (एक *प्रतिशत*) की राशि ₹ 6.09 लाख की कटौती नहीं की गई थी।

(प्रस्तर 4.9)

- नगरपालिका परिषद नैनीताल ने बिना कोई व्यय किए ₹ 40 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किए।

(प्रस्तर 4.10)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन

अध्याय-1: पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन

1.1 परिचय

73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) की त्रिस्तरीय प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया, नियमित चुनावों के साथ एक समान संरचना स्थापित की और वित्त आयोगों के माध्यम से धन के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित किया गया। राज्य सरकार द्वारा पी आर आई को ऐसी शक्ति, कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपने की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि वे स्थानीय स्वायत्त सरकार के रूप में कार्य कर सकें। विशेष रूप से, पी आर आई को, विशेषतः संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल कार्यों पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता थी।

नौं नवम्बर 2000 को तत्कालिन उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर उत्तराखण्ड राज्य का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947, जिसे उत्तराखण्ड द्वारा उत्तरांचल संसोधन अधिनियम 2002 के रूप में अपनाया गया, में पी आर आई की स्थिति उल्लिखित है। अतः उत्तर प्रदेश अधिनियमों के प्रावधान, जैसा कि उत्तराखण्ड के लिए संशोधित किए गए हैं, राज्य में पी आर आई पर लागू हैं। राज्य ने अप्रैल, 2016 में अपना उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम पारित किया है। तथापि, इसके नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1.2 वर्गीकरण, शक्तियाँ एवं कार्य

राज्य में पंचायतों के प्रशासनिक गठन में तीन-स्तरीय प्रणाली शामिल हैं: गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत (ग्रा पं), ब्लाक स्तर पर क्षेत्र पंचायत (क्षे पं) तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत (जि पं)।

राज्य, योजनाओं की तैयारी में बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाता है। नियोजन में विकेंद्रीकरण के कारण, स्थानीय अधिकारों और जरूरत के आधार पर, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से सम्बन्धित योजना तैयार करने के अधिकार ग्रा पं को दिये गये हैं। ग्राम सभा (ग्रा पं के सदस्यों को चुनने वाले गांव के 18 साल से ऊपर के सभी वयस्क शामिल) सम्बन्धित क्षे पं को प्रस्तावित योजनाओं की सिफारिश करती है। सम्बन्धित ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा की सामान्य बैठकें ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जानी चाहिए।

क्षे पं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत का मध्यवर्ती स्तर है, जोकि उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली ग्रा पं से प्राप्त योजनाओं को सम्मिलित एवं संकलित कर ब्लॉक की वार्षिक विकास योजना तैयार करता है तथा उसे जिला पंचायत को प्रस्तुत करता है। क्षेत्र पंचायत के पास अपने संसाधन नहीं हैं। तथापि, यह उसका कर्तव्य है कि ब्लॉक में संपादित किये जा रहे कार्यों की जाँच एवं अनुश्रवण यह सुनिश्चित करने हेतु करे कि कार्यों की गुणवत्ता बनाई रखी जाती है, लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है तथा जिला स्तर से प्राप्त हुए आवश्यक निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।

जिला पंचायत पूरे जिले के लिए वार्षिक योजना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है और इसे जिला योजना समिति (जि यो स) को प्रस्तुत करती है। जिला योजना का उद्देश्य जिले के सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। जिला पंचायत, भारत सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं, जिला योजनाओं एवं बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन

को सुनिश्चित करने और क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत, दोनों स्तर पर गतिविधियों का समन्वय, मूल्याँकन और अनुश्रवण करने के लिए भी जिम्मेदार है। जिला पंचायत के लिए यह भी आवश्यक है कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार को आवश्यक मांग प्रस्तुत करें। जिला पंचायत का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत नीतियों तथा विशेष एवं सामान्य आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सौंपें गये अन्य कार्यों का पालन किया जा रहा है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

उत्तराखण्ड राज्य में 13 जिला पंचायत (जि पं), 95 क्षेत्र पंचायत (क्षे पं) एवं 7,793 ग्राम पंचायत (ग्रा पं) हैं ***(परिशिष्ट-1.1)***।

प्रधान सचिव सह वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त, राज्य में पी आर आई के प्रशासनिक प्रमुख हैं। राज्य स्तर पर कार्यों एवं योजनाओं के समग्र नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु सचिव, पंचायती राज और सचिव, ग्राम्य विकास उनकी सहायता करते हैं।

सभी पी आर आई, अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत किये कार्यों के निर्वहन के लिए गठित विशिष्ट कानूनी प्राधिकरण हैं और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित निकायों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। राज्य, जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर पी आर आई का संगठनात्मक संरचना नीचे ***चार्ट-1*** में दर्शाया गया हैं:

चार्ट-1: पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड की संगठनात्मक संरचना

(i) प्रशासनिक स्तर

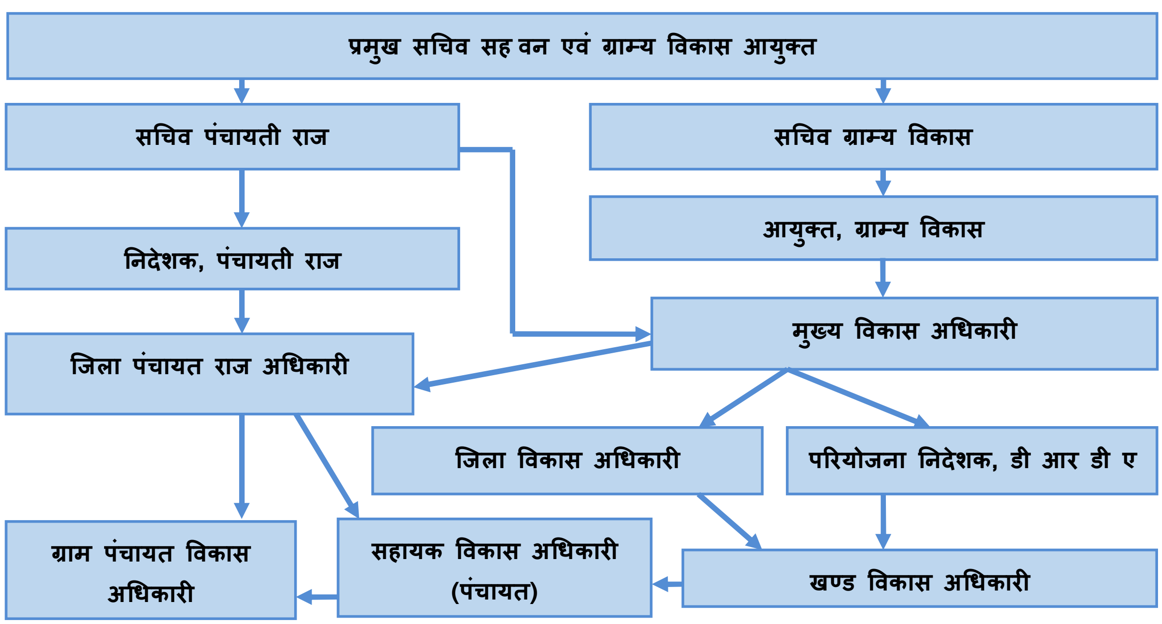

(ii) निर्वाचित स्तर

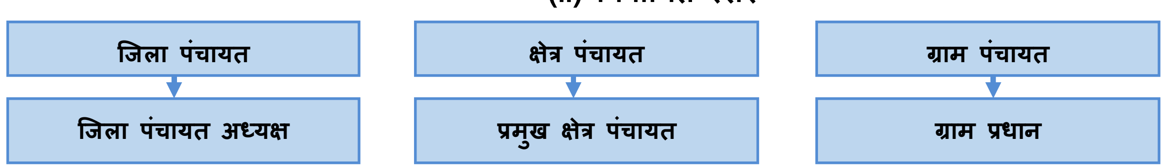

1.4 लेखापरीक्षा व्यवस्था

राज्य सरकार ने निदेशक, लेखापरीक्षा को राज्य में पी आर आई और शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) के लेखाओं के प्राथमिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। राज्य सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) के डी पी सी अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के तहत उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टी जी एस) प्रदान करने की जिम्मेदारी सी ए जी को सौंपी (मार्च 2013) है। राज्य सरकार ने सी ए जी द्वारा निर्धारित टी जी एस के मापदण्डों को स्वीकार (मार्च 2013) किया है। पी आर आई और यू एल बी की बाहय लेखापरीक्षा पहले से ही सी ए जी के डी पी सी अधिनियम 1971 की धारा 14 के तहत की जा रही है। वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए टी आई आर) 23 सितंबर 2020 को राज्य विधानसभा में रखा गया।

1.4.1 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी जी एस)

सी ए जी, पी आर आई में लोक वित्त प्रबंधन एवं जवाबदेही मजबूत करने के उद्देश्य से पी आर आई के प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त टी जी एस प्रदान कर सकता है। प्राथमिक लेखापरीक्षकों के क्रियाकलापों को नीचे वर्णित किया गया हैं:

- प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक निदेशक, लेखापरीक्षा (डी ए) द्वारा अगले वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जायेगी।
- डी ए द्वारा, यू एल बी की लेखापरीक्षा प्रणाली एवं प्रक्रिया का चयन राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- डी ए द्वारा प्रणाली में सुधार की सलाह हेतु, निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि प्र) की प्रतिलिपियाँ प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित की जायेगी।
- डी ए द्वारा सुझाव एवं अनुश्रवण हेतु सी ए जी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कुछ इकाइयों की नमूना जाँच की जायेगी तथा नमूना जाँच का प्रतिवेदन अनुपालन हेतु डी ए को भेजा जायेगा।
- किसी भी गंभीर अनियमितता, चाहे जो भी मूल्य हो, को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जायेगा।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) से परामर्श करके डी ए अपनी संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विकसित करेगा।
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), डी ए के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा तथा क्षमता निर्माण भी करेगा।

टी जी एस तंत्र के अंतर्गत कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पी आर आई एवं यू एल बी की पूरक लेखापरीक्षा आयोजित कर रहा है।

वर्ष 2017-19 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण; प्रिया सॉफ्ट और अन्य ई-पंचायत सॉफ्टवेयर; खातों का प्रमाणीकरण; और टी जी एस से सम्बन्धित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 20 जुलाई 2017 और 31 अगस्त 2017 को सचिव, वित्त/निदेशक लेखापरीक्षा और पी आर आई विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ दो बैठकें आयोजित की गई। इस संबंध में निदेशक लेखापरीक्षा को एक पत्र भी भेजा गया (28 मार्च 2018) था। तत्पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदनों में ग्राम पंचायतों की रूपरेखा, पदस्थापित पद, कम्प्यूटरीकरण की स्थिति, सामाजिक अंकेक्षण की स्थिति, निर्धारित लेखा प्रारूप का प्रयोग आदि जैसी सूचनाओं को शामिल करने हेतु एक शासनादेश निदेशक लेखापरीक्षा, उतराखण्ड द्वारा जारी (17 मई 2018) किया गया ।

1.4.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 2017-18 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं की 151 इकाईयों {जिला पंचायत राज अधिकारी (डी पी आर ओ): 09, जि पं: 09, क्षे पं: 45 एवं ग्रा पं: 88} के लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की गई। इसी तरह, 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं की 151 इकाईयों {जिला पंचायत राज अधिकारी (डी पी आर ओ): 07, जि पं: 11, क्षे पं: 45 एवं ग्रा पं: 88} के लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्पादित की गई।

1.5 संसाधन: प्रवृत्तियाँ और संयोजन

2014-15 से 2018-19 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु संसाधन उपलब्धता की प्रवृत्ति का विवरण नीचे ***चार्ट-2*** में दिया गया है:

चार्ट-2 : संसाधनः पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर रूझान और संयोजन/समय बद्ध आँकड़े

(₹ करोड़ में)

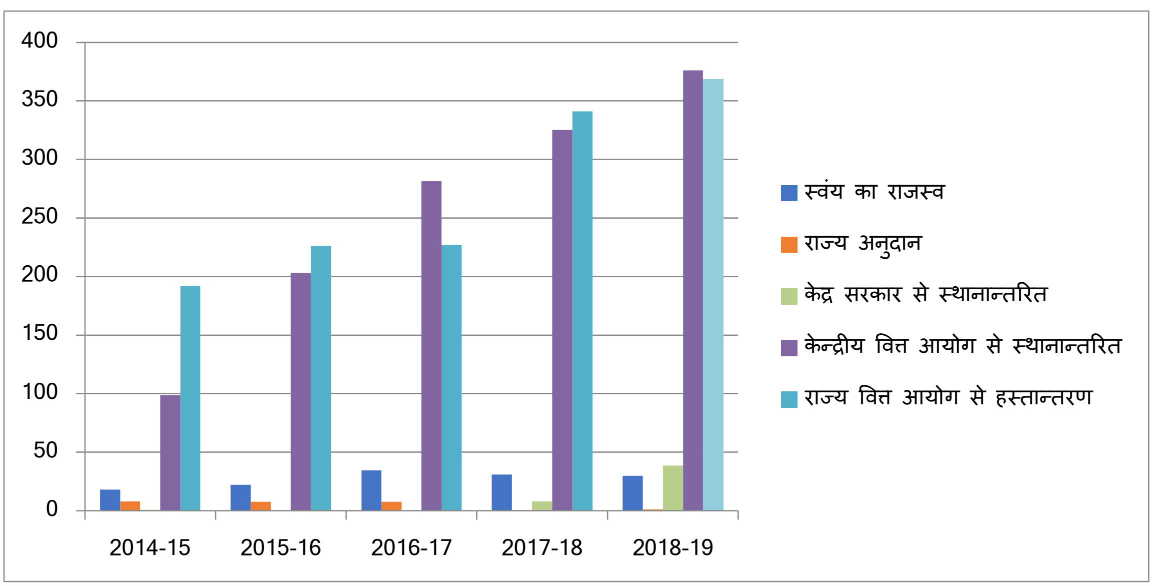

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय, देहरादून एवं ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए संसाधनों का अनुप्रयोग नीचे ***चार्ट-3*** में दिया गया है:

चार्ट-3 : संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन / पंचायती राज संस्थाओं में संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

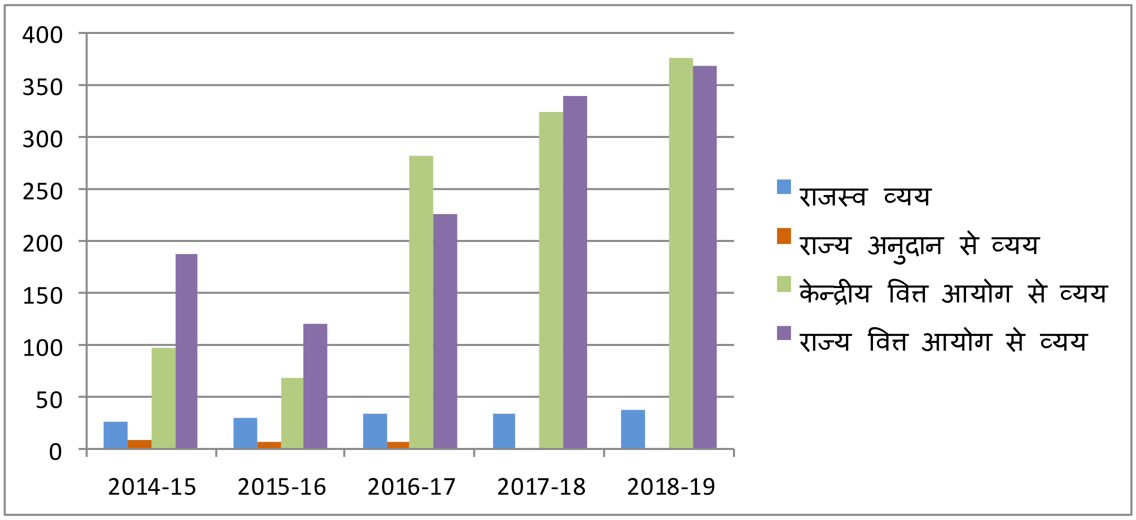

स्रोत: पंचायती राज निदेशालय, देहरादून।

उपरोक्त के अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं (सी एस एस) में प्राप्त हुई धनराशि एवं किए गए व्यय का विवरण नीचे ***तालिका-1.1 (अ)*** में दिया गया है:

तालिका-1.1 (अ): विभिन्न केन्द्रपोषित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्रमुख सी एस एस में धनराशि की प्राप्ति	अन्य प्राप्तियाँ[1]	कुल उपलब्ध धनराशि	उपयोगित धनराशि	अंतिम अवशेष
2015-16	121.24	562.45	532.73	1,216.42	1,060.79	155.63
2016-17	155.63	783.70	544.94	1,484.27	1,336.08	148.19
2017-18	148.19	1,704.18	1.74	1,854.11	1,561.57	292.54[2]
2018-19	210.53	1,968.80	3.33	2,182.66	1,522.85	659.81

स्रोत: ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी।

कुछ मुख्य केन्द्रपोषित योजनाओं में योजनावार प्राप्ति एवं व्यय का विवरण नीचे ***तालिका-1.1 (ब)*** में दिया गया है:

[1] ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम (डी पी ए पी), इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आई डब्लयू डी पी), बायो गैस, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई), मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना (एम पी एल ए डी एस), इत्यादि के अन्तर्गत प्राप्तियाँ।

[2] मुख्य अभियंता, यू आर डी डी ए द्वारा पत्र सं. 1837 दिनांकित 05 अक्टूबर 2018 द्वारा सूचित किया गया कि ठेकेदारों से प्रतिभूति जमा की राशि दिनांक 01.04.2018 को पी एम जी एस वाई निधि की शेष राशि (जो संशोधन के बाद कम कर दी गई थी) में गलत दिखाया गया था और पी एम जी एस वाई के तहत नाबार्ड से वित्तपोषित राज्य प्रायोजित योजनाओं को वर्ष 2017-18 के अंत तक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत गलत तरीके से दिखाया गया था।

तालिका-1.1 (ब): प्रमुख केन्द्रपोषित योजनाओं की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

योजना का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अवशेष धनराशि (*प्रतिशत*)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट **(मनरेगा)**	2015-16	5.09	499.04	504.13	493.78	10.35 (*2*)
	2016-17	10.35	575.85	586.20	724.81	-138.61[3]
	2017-18	0.00	788.58	788.58	788.58	0.00
	2018-19	1.11[4]	649.80	650.91	649.98	0.93 (*0.14*)
इंदिरा आवास योजना **(आई ए वाई)**	2015-16	42.40	31.66	74.06	46.13	27.93 (*38*)
	2016-17	27.93	75.92	103.85	42.00	61.85 (*60*)
	2017-18	61.85	29.52	91.37	86.61	4.76 (*5*)
	2018-19	4.76	106.65	111.41	65.96	45.45 (*41*)
बोर्डर एरिया डेवेलोपमेंट प्रोग्राम **(बी ए डी पी)**	2015-16	31.20	0.00	31.20	0.00	31.20 (*100*)
	2016-17	31.20	28.54	59.74	31.07	28.67 (*48*)
	2017-18	28.67	33.34	62.01	27.55	34.46 (*56*)
	2018-19	34.46	35.82	70.28	38.88	31.40 (*45*)

स्रोतः ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी, पंचायती राज निदेशालय, देहरादून एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, देहरादून।

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, कार्यान्वयन विभागों के पास विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सम्बन्धित वर्षो के अंत में पर्याप्त अव्ययित अवशेष राशि थी।

1.6 मानव संसाधन

जि पं में मानव संसाधनों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि, केन्द्रीकृत सेवाएँ और गैर-केन्द्रीकृत सेवाएँ। केन्द्रीकृत संवर्ग, राज्य सेवाओं से लिया जाता है जबकि गैर-केन्द्रीकृत संवर्ग, विशिष्ट रूप से पंचायती राज संस्थाओं के लिए है। जि पं में स्वीकृत पद और कार्यरत पद ***तालिका-1.2*** में नीचे वर्णित हैः

तालिका-1.2: 31 मार्च 2019 को जिला पंचायतों में मानव-शक्ति की स्थिति

क्र सं	सेवा के वर्ग	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	कमी की प्रतिशतता
1.	केन्द्रीकृत	123	68	55	*45*
2.	गैर-केन्द्रीकृत	485	252	233	*48*
कुल		***608***	***320***	***288***	***47***

स्रोतः निदेशालय, पंचायती राज, देहरादून।

[3] जैसा कि आयुक्त, ग्रामीण विकास द्वारा सूचित (जुलाई 2020) किया गया, मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2016-17 में दर्शाई गई ₹ 138.61 करोड़ की देयता वर्ष 2017-18 में भुगतान की जानी थी।

[4] जैसा कि आयुक्त, ग्रामीण विकास द्वारा सूचित (जुलाई 2020) किया गया, जिलों द्वारा मनरेगा प्रकोष्ठ को ₹ 1.11 करोड़ लौटाए गए, जिसे वर्ष 2018-19 के प्रारम्भिक शेष के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जि पं समग्र रूप से 47 *प्रतिशत* की कमी के साथ कार्य कर रही थी।

पी आर आई में प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी और निर्वाचित सदस्य दोनों शामिल होते हैं। विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक अधिकारियों की कमी ***तालिका-1.3*** में नीचे दर्शाया गया हैः

तालिका-1.3: पंचायती राज संस्थाओं में मानव-शक्ति की स्थिति

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
जिला पंचायत राज अधिकारी (जि पं रा अ)	13	12	01
सहायक जि पं रा अ	13	13	00
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	95	95	00
पंचायत निरीक्षक (उद्योग)	10	01	09
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी	1,175	849	326
डी पी आर ओ, क्षे पं एवं ग्रा पं में कुल प्रशासनिक पद	***1,306***	***970***	***336***

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, पंचायत निरीक्षक और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के स्तर पर रिक्तियां क्रमशः 90 *प्रतिशत* और 28 *प्रतिशत* थीं। महत्वपूर्ण स्तरों पर मानवशक्ति की कमी ने योजनाओं/कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

1.7 प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की लेखापरीक्षा (पी ए)

2015-19 के दौरान निदेशक लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, द्वारा आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति नीचे ***तालिका-1.4*** में दर्शायी गयी हैः

तालिका-1.4: पी आर आई के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

पी आर आई	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ
जि पं	13	04	13	05	13	06	13	06
क्षे पं	95	38	95	30	95	27	95	24
ग्रा पं	7,705	816 (*10.59*)	7,581	1,788 (*23.59*)	7,850	1114 (*14.19*)	7,850	1854 (*23.62*)
कुल	***7,813***	***858 (11)***	***7,689***	***1,823 (24)***	***7,958***	***1147 (14)***	***7,958***	***1,884 (24)***

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।

स्रोतः लेखापरीक्षा निदेशालय प्रतिवेदन, उत्तराखण्ड।

यद्यपि लेखापरीक्षा आच्छादन में बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी, तथापि 2015-16 से 2018-19 के दौरान केवल 11 *प्रतिशत* से 24 *प्रतिशत* तक आच्छादन अपर्याप्त था।

निदेशालय लेखापरीक्षा, कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा को आवश्यक गति निर्धारित करने में सक्षम नही था क्योंकि सभी संवर्गो में कार्मिकों की कमी देखी गई। इस तरह की कमी 33 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* ***(परिशिष्ट-1.2)*** तक थी, जिसने संगठन के अनिवार्य कार्यों पर प्रतिकूल

प्रभाव डाला। पिछले कईं वर्षो से पी आर आई में कार्मिकों की कमी एक जैसी ही बनी हुई है। इस तथ्य को पूर्व वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदनों में भी प्रतिवेदित किया गया था।

1.8 विषयों का हस्तान्तरण न होना

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार (अनुच्छेद 243-जी), पंचायत, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों ***(परिशिष्ट-1.3)*** के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं को बनाने एवं उनके निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। उत्तराखण्ड शासन ने पहले चरण में पंचायती राज संस्थानों को 14 विषय हस्तांन्तरित करने के लिए निर्णय (अक्टूबर 2003) लिया था, एवं तदनुसार इस अधिनियम के लिए आवश्यक सरकारी आदेश जारी किए थे। तथापि, सरकार, पंचायतों को आवश्यक शक्तियाँ एवं संसाधनों को हस्तांतरित करने में विफल रही, इसलिए 14 विषयों का स्थानांतरण भी अप्रभावी रहा।

1.9 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर की जाँच और मूल्याँकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, जैसा कि सम्बन्धित अधिनियमों के साथ वित्तीय/लेखा नियमों में परिकल्पित किया गया है ताकि जोखिम प्रबंधन की पर्याप्तता और स्थानीय निकायों में आंतरिक नियंत्रण ढाँचे पर प्रबंधन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान किया जा सके। यह पाया गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा, जिसे निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड द्वारा ग्राम पंचायतों में किया जाना था, वर्ष 2017-19 के दौरान नमूना जांच की गई ग्राम पंचायतों में नहीं किया गया था।

1.10 कम्प्यूटरीकरण

राज्य के विभिन्न विभागों को सरकारी कार्यों में कम्प्यूटीकरण एवं आई टी दक्षता में उच्च प्रोत्साहन मिला है। दुर्भाग्यवश, राज्य के पी आर आई में ई-गवर्नेस महत्वपूर्ण तरीके से नहीं अपनाया गया है। निदेशालय, पी आर आई द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर 7,793 ग्रा पं में से मात्र 1,939 को ही कम्प्यूटर दिये गये थे। शेष 5,854 ग्रा पं को अभी कम्प्यूट्रीकृत किया जाना था।

1.11 अन्य अनियमितताएँ

लेखाओं के रख-रखाव और बजट की तैयारी के सम्बंध में लेखापरीक्षा में अनियमितताएँ पायीं गई। पिछले वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इन अनियमितताओं के सम्बंध में प्रतिवेदित किया गया था। पी आर आई की नमूना जाँच में 2017-19 में महत्वपूर्ण अनियमितताएँ थीः

1.11.1 निर्धारित प्रारूप में रोकड़ बही न बनाया जाना

176 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि 66 ग्राम पंचायतों (38 *प्रतिशत*) में रोकड़ बहियों का रख-रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

1.11.2 अग्रिम पंजिका का रख-रखाव न किया जाना

पंचायती राज मैनुअल के अनुसार, निर्माण कार्यों/आपूर्ति के प्रावधानों के निष्पादन हेतु ग्रा पं के सदस्यों और कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान किया जा रहा है। 176 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में यह पाया गया कि 93 ग्राम पंचायतों (53 *प्रतिशत*) द्वारा अग्रिमों के लेखाकरण और उनकी वसूली/समायोजन की निगरानी करने हेतु अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, इस तरह के अग्रिमों की वसूली/समायोजन का पता नही लगाया जा सका।

1.11.3 बजट तैयार न किया जाना

बजट वित्तपोषण, नियोजन एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण तथा निष्पादन के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उत्तर प्रदेश जि पं/क्षे पं (बजट और लेखा नियम, 1965) की धारा III में वर्णित है कि आने वाले वर्ष के दौरान अपेक्षित आय और व्यय के विस्तृत अनुमान वाले बजट प्रस्ताव, सम्बन्धित जि पं, क्षे पं और ग्रा पं द्वारा तैयार किये जाने थे। यह देखा गया कि नमूना-जांच कि गई 176 ग्राम पंचायतों में से 164 ग्राम पंचायतों (93 *प्रतिशत*) ने उपरोक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया था।

1.12 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र)

टी जी एस के अन्तर्गत पी आर आई की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 2012-19 की अवधि के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सम्बन्धित पी आर आई को 1,841 निरीक्षण प्रतिवेदन जिसमें 5,789 प्रस्तर थे, निर्गत किये गये थे। इनमें से उक्त वर्षों के दौरान, मात्र 61 प्रस्तर निस्तारित किये गये थे एवं मार्च 2019 तक 5,728 प्रस्तर अनिस्तारित थे जिसका विवरण नीचे ***तालिका-1.5*** में दिया गया हैः

तालिका-1.5: पंचायती राज संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदनों और प्रस्तरों का वर्षवार ब्योरा

क्र. सं.	जारी करने का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में कुल अनिस्तारित प्रस्तर
1.	2012-13 तक	428	1,404	02	1,402
2.	2013-14	279	679	02	677
3.	2014-15	468	1,580	29	1,551
4.	2015-16	266	820	20	800
5.	2016-17	98	375	06	369
6.	2017-18	151	498	निरंक	498
7.	2018-19	151	433	02	431
	कुल	***1,841***	***5,789***	***61***	***5,728***

स्रोतः उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार।

उपर्युक्त तालिका, अनिस्तारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रति पी आर आई और उनके प्रशासनिक विभाग की अपर्याप्त प्रतिक्रिया को दर्शाता है। प्रतिक्रिया का अभाव गैर-अनुपालन और पी आर आई की जवाबदेही में कमी को इंगित करता है।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-2 : पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2.1 परिचय

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा राज्य की 95 क्षेत्र पंचायतों (क्षे पं) एवं 13 जिला पंचायतों (जि पं) में से वर्ष 2017-18 के दौरान 45 क्षे पं एवं 9 जि पं तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 45 क्षे पं एवं 11 जि पं की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी ***(परिशिष्ट-2.1)*** थी।

पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

2.1.1 राजस्व संग्रहण में कमी

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 165 से 190 के अनुसार, विभव एवं सम्पत्ति कर (सी पी टैक्स) उन व्यक्तियों पर लागू किया जाना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं और व्यवसाय कर रहे हैं बशर्ते कि उन्होंने निर्धारण वर्ष के दौरान कम से कम छः माह अपना व्यवसाय किया हो। इसके अतिरिक्त, अन्य विविध करों एवं पट्टा/किराये से प्राप्त आय को भी अधिरोपित किया जाना चाहिए।

2017-19 के दौरान 13 जि पं में से 11 जि पं[1] के अभिलेखों की नमूना जाँच तथा आगे एकत्रित की गयी सूचना में यह पाया गया कि सी पी टैक्स का निर्धारण एवं वसूली विद्यमान प्रावधानों (अनुच्छेद 177) के अनुसार नहीं की जा रही थी तथा ₹ 9.04 करोड़[2] कर की वसूली अभी भी लंबित थी। निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं थी:

- जिला पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करने एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों पर सी पी टैक्स का अधिरोपण करने के लिए, निर्धारण हेतु कोई समुचित प्रणाली नहीं थी।
- करदाताओं का कोई कम्प्यूटराइज्ड डाटा नहीं था जिससे करों के संग्रहण हेतु समुचित नियोजन किया जा सके।
- जिला पंचायतों द्वारा आवर्ती आय के नियोजन हेतु अपनी अचल सम्पत्तियों को अद्यतन नहीं किया था।
- अनुबन्ध में उल्लिखित तीन वर्षों की निश्चित अवधि के उपरान्त दुकान-किराये में वृद्धि नहीं की जा रही थी।

इस ओर इंगित किये जाने पर, अपर मुख्य अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयं के राजस्व में वृद्धि हेतु बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाया जायेगा और लम्बित करों की शीघ्र ही वसूली की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य गठन से दो दशक व्यतीत हो चुके हैं परन्तु

---

[1] 11 जि पं (वर्ष 2017-18 हेतु एक जि पं तथा वर्ष 2018-19 हेतु 10 जि पं)।

[2] रुद्रप्रयाग - ₹ 25.13 लाख (लेखापरीक्षा अवधि 2017-18); यू एस नगर - ₹ 96.63 लाख, देहरादून - ₹ 302.25 लाख, उत्तरकाशी - ₹ 48.59 लाख, पिथौरागढ़ - ₹ 7.06 लाख, चम्पावत - ₹ 17.11 लाख, नैनीताल - ₹ 81.22 लाख, चमोली - ₹ 0.80 लाख, पौड़ी - ₹ 216.73 लाख, बागेश्वर - ₹ 36.4 लाख तथा हरिद्वार - ₹ 72.53 लाख (लेखापरीक्षा अवधि 2018-19)।

प्रासंगिक प्रावधानों के लागू होने के उपरांत भी पंचायती राज संस्थाएँ अपने राजस्व में वृद्धि हेतु समुचित योजना की रूपरेखा तैयार नहीं कर पायीं।

पंचायती राज निदेशालय, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जिला पंचायतों की अचल सम्पत्तियों को स्वयं के राजस्व में वृद्धि हेतु पूर्ण रुप से उपयोग नहीं किया जा रहा था। यह भी देखा गया कि न तो सी पी टैक्स/अन्य के संग्रहण के लिए कोई निर्देश जारी किये गये थे और न ही स्वयं के राजस्व में वृद्धि हेतु अचल सम्पत्तियों के उपयोग के लिए कोई नियोजन किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किए जाने पर, निदेशक, पंचायती राज, देहरादून ने उत्तर दिया कि शीघ्र ही निर्देश जारी किये जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जहाँ एक ओर विश्राम गृहों की मरम्मत नहीं की जा रही थी तथा इस प्रकार निधि की अनुपलब्धता के कारण उन्हें किराये पर नहीं दिया जा सका था तथा वहीं दूसरी ओर ₹ 9.04 करोड़ की वसूली लम्बित थी।

इस प्रकार, जिला पंचायतें समुचित नियोजन के अभाव तथा उपलब्ध अचल सम्पत्तियों के समुचित उपयोग के अभाव के कारण स्वयं के राजस्व संवर्धन में असफल थीं।

2.1.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) भारत सरकार की एक योजना है, जो विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के निवारण हेतु वर्ष 2006-07 में क्षेत्र की स्थानीय अवसंरचना एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं में चिन्हित किए गये महत्वपूर्ण अन्तरालों में विद्यमान विकासात्मक अंतःप्रवाह को अनुपूरित एवं अभिसारित करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करने हेतु आरम्भ की गयी थी। उत्तराखण्ड में बी आर जी एफ हेतु तीन जनपद[3] चयनित किये गये थे।

चम्पावत एवं चमोली जनपदों में वर्ष 2017-18 हेतु अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि ₹ 8.74 करोड़ की लागत के 528 कार्य[4], जो वर्ष 2011-12 के दौरान योजनांतर्गत प्रस्तावित थे, पर्याप्त निधियों की उपलब्धता होने के उपरांत भी लेखापरीक्षा की तिथि (2017-18) तक अपूर्ण थे। उक्त कार्यों पर ₹ 4.90 करोड़ का व्यय किया गया था।

जनपद चमोली में यह भी देखा गया कि अगस्त 2013 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के अन्तर्गत चार विश्राम गृह स्वीकृत किये गये थे एवं ₹ 87.52 लाख के व्ययोपरांत वर्ष 2015-16 में पूर्ण हुये थे। फिर भी ये विश्राम गृह अप्रयुक्त पड़े थे और कोई राजस्व संग्रहित नहीं किया जा रहा था। जिला पंचायत चमोली ने विश्राम गृहों के अप्रयुक्त रहने का कोई कारण नहीं बताया।

2.1.3 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु उप-कर की कटौती न किया जाना

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996" तथा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार

[3] चमोली, चम्पावत और टिहरी।

[4] निर्माण कार्य यथा लघु मार्ग, सुरक्षा दीवारें, शौचालय, विश्राम गृह, पंचायत भवन, पेयजल कार्य आदि।

कल्याण उप-कर नियमावली, 1998" के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये एक शासनादेश[5] (जी ओ) जारी किया गया था। अधिनियम संस्थानों द्वारा किये जाने वाले निर्माण की लागत पर एक *प्रतिशत* श्रम उप-कर का प्रावधान करता है और इस प्रकार संगृहित निधि का प्रयोग कर्मकारों के कल्याण यथा पेंशन का भुगतान, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, मृत्यु की दशा में क्षतिपूर्ति, बच्चों की शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता तथा उपकरणों के प्रावधान हेतु किया जाना था।

अट्ठारह पी आर आई[6] के अभिलेखों की जाँच (2017-19) में पाया गया कि निर्माण कार्यों हेतु आकलन तैयार करते समय उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी की गयी थी। इसके परिणाम स्वरूप, ठेकेदारों के देयकों से ₹ 51.91 लाख ***(परिशिष्ट-2.2)*** के श्रम उप-कर की कटौती नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किए जाने पर, इकाइयों द्वारा अवगत कराया गया था कि वे प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों से अनभिज्ञ थी और आगे कहा कि भविष्य में श्रम उप-कर की कटौती की जायेगी।

2.1.4 परियोजनाओं/ निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना

चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जाँच (2017-19) में यह पाया गया कि छः योजनाओं[7] से संबन्धित निर्माण कार्यों के लिये वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 24.62 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। उक्त परियोजनाओं/ निर्माण कार्यों हेतु ₹ 17.16 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। जाँच में पाया गया कि पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद भी, उक्त कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से एक से छः वर्ष ***(परिशिष्ट-2.3)*** तक विलंबित थे।

यह इंगित किये जाने पर, इकाइयों ने अवगत कराया कि कर्मचारियों की कमी तथा स्थल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उक्त निर्माण कार्यों के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निर्माण कार्यों की स्वीकृति एवं उनके प्रारम्भ होने से पूर्व भौगोलिक परिस्थितियाँ ज्ञात थी।

2.1.5 अर्जित ब्याज का अनियमित अवधारण

पी आर आई में कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के दिशा-निर्देशों में उन विविध योजनाओं/ कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि पर अर्जित होने वाले ब्याज के उपयोग के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। राज्य सरकार द्वारा उक्त धनराशियों पर अर्जित ब्याज को सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में जमा करने हेतु पी आर आई को निर्देश जारी (जनवरी 2013) किये गये थे।

वर्ष 2017-19 के दौरान 31 पी आर आई[8] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि मार्च 2019 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ब्याज के रूप में अर्जित की गयी धनराशि ₹ 6.40 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.4)*** को राज्य सरकार के सुसंगत प्राप्ति शीर्ष में जमा नहीं कराया गया था। इस

---

[5] सं. 740/VIII/14-680(श्रम)/2002 टीसी-II दिनांकित 13.08.2014।

[6] {18=6+12}: वर्ष 2017-18 हेतु 6 पी आर आई (जि पं: 03, क्षे पं: 03) तथा वर्ष 2018-19 हेतु 12 पी आर आई (क्षे पं: 12)।

[7] बी ए डी पी, पर्यटन, एस एफ सी, एम एल ए एल ए डी, एम पी एल ए डी एवं मेरा गाँव मेरी सड़क।

[8] {31=9+22}: वर्ष 2017-18 हेतु 9 पी आर आई (जि पं रा अ: 01, जि पं: 01, क्षे पं: 07) तथा वर्ष 2018-19 हेतु 22 पी आर आई (जि पं रा अ: 01, जि पं: 01, क्षे पं: 14, ग्रा पं: 06)।

प्रकार, इस संबंध में शासकीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अर्जित ब्याज को संबन्धित इकाइयों के बैंक खातों में अनियमित रूप से अवरुद्ध रखा गया था।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाइयों द्वारा अवगत कराया गया कि ब्याज को सुसंगत शीर्ष में शीघ्र ही जमा कराया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्पष्ट दिशा-निर्देश (जनवरी 2013) होने पर भी पी आर आई द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

2.1.6 रॉयल्टी जमा न किया जाना

उत्तराखण्ड सरकार (उ स) के उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना (अक्टूबर 2009) की धारा-2 के अनुसार नदी तल या अन्य स्थानों से निर्माण हेतु निकाली गयी सामग्री के लिये रॉयल्टी की कटौती विनिर्दिष्ट दरों पर ठेकेदारों के बिलों से की जानी चाहिए तथा संबन्धित लेखा शीर्ष (0853-खान एवं खनिज) में जमा की जानी चाहिए थी। रॉयल्टी की दरें जनवरी 2016 में पुनः संशोधित की गयी थी।

वर्ष 2017-19 के दौरान 10 पी आर आई[9] के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ₹ 23.61 लाख ***(परिशिष्ट-2.5)*** की रॉयल्टी की कटौती ठेकेदारों के देयकों से की जानी चाहिए थी। उक्त में से ₹ 6.30 लाख की धनराशि दो पी आर आई[10] द्वारा काटी गयी थी तथा शेष ₹ 17.31 लाख की धनराशि आठ पी आर आई द्वारा नहीं काटी गयी थी। आगे जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों के देयकों से काटी गयी ₹ 6.30 लाख की रॉयल्टी संबन्धित लेखा शीर्ष में जमा नहीं करायी गयी थी।

यह इंगित किये जाने पर इकाइयों द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश प्राप्त न होने के कारण रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी थी तथा भविष्य में यह विनिर्दिष्ट दरों पर ठेकेदारों के देयकों से काटी जायेगी तथा संबन्धित लेखा शीर्ष में जमा की जायेगी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि शासन द्वारा इस विषय पर वर्ष 2009 में ही नियम बनाये जा चुके थे और समय-समय पर संशोधित भी हुये थे तथा वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

2.1.7 सतत अनियमितताएँ

पूर्व वर्षों में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत भी, 176 ग्रा पं[11] की नमूना जाँच में निम्नलिखित सतत अनियमितताएँ पायी गईं थी:

- ग्राम पंचायतों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।
- 61 ग्रा पं की समितियाँ एवं उप-समितियाँ उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिये बैठकें आयोजित नहीं कर रही थीं जिसके लिये वे गठित की गयी थीं।
- 164 ग्रा पं में लेखाओं का रख-रखाव पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में नहीं किया जा रहा था।

---

[9] {10=3+7}: वर्ष 2017-18 हेतु 3 पी आर आई (क्षे पं: 03) तथा वर्ष 2018-19 हेतु 7 पी आर आई (जि पं: 01, क्षे पं: 05, ग्रा पं: 01)।

[10] क्षे पं बिन एवं क्षे पं बागेश्वर।

[11] 176 ग्रा पं = 88 ग्रा पं (वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षित) + 88 ग्रा पं (वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षित)।

- 73 ग्रा पं में बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किये जा रहे थे।

2.1.8 रोचक तथ्य

वर्ष 2017-19 के दौरान पी आर आई की लेखापरीक्षा में प्रकाश में आये कुछ रोचक तथ्यों का विवरण निम्नवत है:

- यह पाया गया कि वर्ष 2017-19 के दौरान ग्रा पं में महत्वपूर्ण पंजिकाओं यथा बिल पंजिका, अग्रिम पंजिका, भण्डार पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, चैक निर्गत पंजिका और प्राप्ति पंजिका का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। इन अभिलेखों का रख-रखाव न किये जाने के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देनों की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। संबन्धित पंचायत सचिवों द्वारा भविष्य में इन अभिलेखों का रख-रखाव किये जाने का आश्वासन प्रदान किया गया।
- राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, रा वि आ के अन्तर्गत आवंटित निधि के 10.62 *प्रतिशत* की कटौती अपर मुख्य अधिकारी, ज़िला पंचायत के द्वारा की जानी थी तथा इसका उपयोग जि पं कार्मिकों के सेवानिवृत्ति एवं पेंशन लाभों हेतु किया जाना था। निदेशालय, उत्तराखण्ड के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा (मार्च 2018) के दौरान यह पाया गया कि परिक्रामी निधि में ₹ 48.17 करोड़ राज्य गठन से अप्रयुक्त पड़े थे क्योंकि जि पं हेतु उत्तराखण्ड सेवा नियमावली में संशोधन किया जाना अभी भी प्रतीक्षित था।
- डा. ए पी जे अब्दुल कलाम ग्राम बदलाव योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी ग्राम पंचायत में ₹ 2,000 तक का नगद भुगतान केवल सामग्री क्रय एवं मजदूरी के भुगतान हेतु किया जाना अनुमन्य था। 14 ग्रा पं की नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुये ₹ 2.04 करोड़ ***(परिशिष्ट-2.6)*** का नकद भुगतान किया था।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

अध्याय-3: शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन

3.1 परिचय

संविधान के 74वें संशोधन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) को संवैधानिक दर्जा दिया गया जिससे संगठनात्मक संरचना में एकरूपता, नियमित चुनाव प्रणाली तथा केंद्रीय वित्त आयोग (के वि आ) एवं राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) के माध्यम से धनराशि के नियमित प्रवाह की व्यवस्था तंत्र सुनिश्चित हुआ। परिणामस्वरूप, राज्यों द्वारा भी शहरी स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ, कार्य एवं उत्तरदायित्व सौंपना आवश्यक था जिससे वे स्थानीय स्वशासन संस्था के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम हों। विशेष रूप से शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्ययोजना बनाना और आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को लागू करना था। संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित कार्य भी उनके अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित थे।

उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उपबंधित है जिसे उत्तराखण्ड शासन द्वारा वर्ष 2002 में अंगीकृत किया गया।

3.2 अधिनियम का निर्धारण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) प्रविधानित करता है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, नगरपालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वशासित संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं और ऐसे कानून में नगरपालिकाओं को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य ने अपने गठन के 19 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अपना स्वयं का नगरपालिका अधिनियम नहीं बनाया। हालाँकि, राज्य ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 को अंगीकृत किया और नगरपालिकाओं द्वारा इसका पालन किया जा रहा था।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति

संख्या एवं जनसंख्या के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति नीचे ***तालिका-3.1*** में वर्णित है:

तालिका-3.1 संख्या और जनसंख्या के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की स्थिति

श स्था नि का स्तर	संख्या	जनसंख्या
नगर निगम	08	21,11,679
नगरपालिका परिषद	41	10,49,093
नगर पंचायत	43	2,78,421

स्रोत: शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।

3.4 लेखापरीक्षा अधिदेश

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) के अधीन, राज्य सरकार ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्ग दर्शन एवं सहायता (टी जी एस) प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंप (मार्च 2013) दिया है। पंचायती राज संस्थानों एवं शहरी स्थानीय निकायों की बाह्य लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 की धारा 14 के अंतर्गत पहले से ही की जा रही है। लेखापरीक्षा परिणाम अर्थात यू एल बी से संबन्धित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (आई आर) निदेशक, शहरी विकास विभाग को भेजी जाती हैं। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्थानीय निकायों की

लेखापरीक्षा पर आधारित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (वा त नि प्र) राज्य की विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है। तदनुसार, वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 23 सितंबर, 2020 को राज्य विधानमंडल में रखा गया था।

3.5 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक संरचना

राज्य में आठ नगर निगम (एन एन), 41 नगरपालिका परिषद (एन पी पी) तथा 43 नगर पंचायतें (एन पी) हैं (***परिशिष्ट-3.1***)। शहरी स्थानीय निकायों पर सम्पूर्ण नियंत्रण प्रमुख सचिव (शहरी विकास), उत्तराखण्ड शासन में निहित है। राज्य स्तर पर निदेशक, शहरी विकास, प्रमुख सचिव (शहरी विकास) के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक व्यवस्था निम्न ***चार्ट- 3.1*** में दर्शाई गई है:

चार्ट-3.1 शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड का प्रशासनिक पदानुक्रम

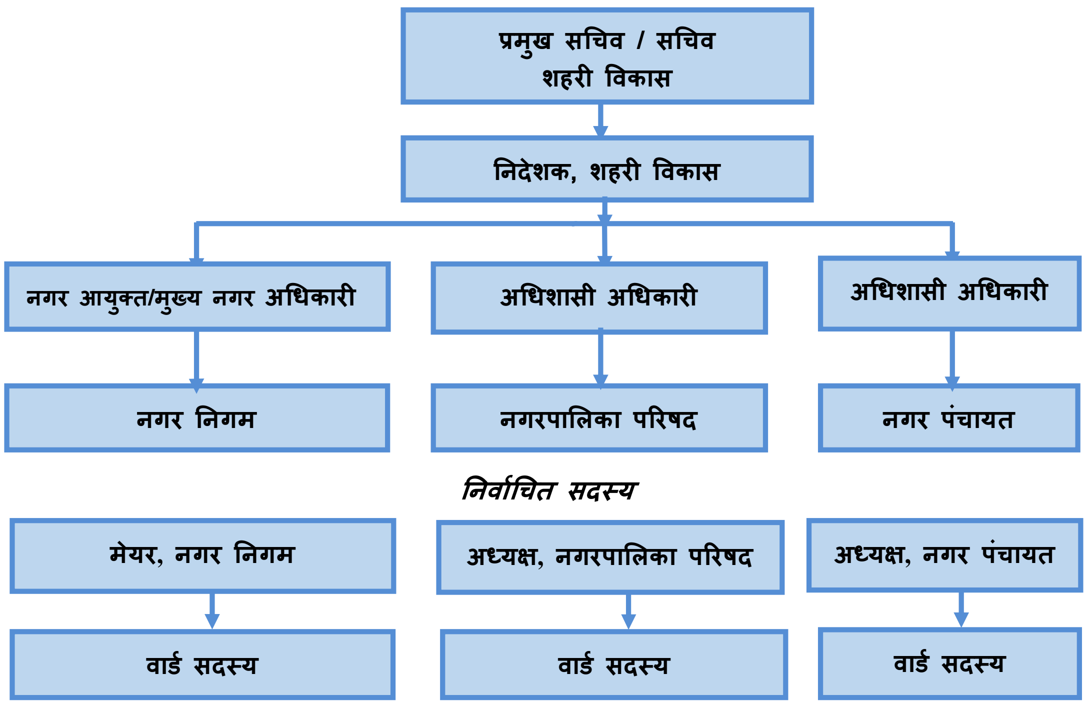

शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रमुखों की कार्य अवधि निर्वाचन के उपरांत प्रथम बैठक की तिथि से पाँच वर्षों तक होती है। शहरी स्थानीय निकायों का विगत निर्वाचन नवम्बर 2018 में हुआ था।

3.6 स्थायी समितियाँ

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (धारा 95) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1916 (धारा 104 से 110) के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों में स्थायी समितियों का गठन किया जाना प्रावधानित है। निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2017-18 के दौरान केवल चार नगर निगमों, 17 नगरपालिका परिषदों और पाँच नगर पंचायतों में इन समितियों का गठन किया गया था ***(परिशिष्ट- 3.2)*** जबकि निदेशालय द्वारा 2018-19 की अवधि के लिए कोई जानकारी नहीं दी गई।

3.7 मानव संसाधन

शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है: केन्द्रीयकृत एवं अकेन्द्रीयकृत सेवाएँ। केन्द्रीयकृत संवर्ग राज्य सेवाओं से लिया जाता हैं जबकि अकेन्द्रीयकृत संवर्ग

विशेष रूप से स्थानीय निकायों के लिए है। अकेन्द्रीयकृत संवर्ग के लिये, शहरी स्थानीय निकाय नियुक्ति एवं नियंत्रण प्राधिकारी हैं। शहरी स्थानीय निकायों के दोनों संवर्गों में स्वीकृत एवं कार्यरत पदों का विवरण नीचे ***तालिका-3.2*** में वर्णित है:

तालिका-3.2: 31 मार्च 2019 को शहरी स्थानीय निकायों में मानव संसाधन की स्थिति

क्र. सं.	सेवाओं का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद (कमी का प्रतिशत)
1.	केन्द्रीयकृत संवर्ग	798	182	616 (*77*)
2.	अकेन्द्रीयकृत संवर्ग	985	432	553 (*56*)
3.	अन्य [1](अकेन्द्रीयकृत)	8,102	3,489	4,613 (*57*)

स्रोत: निदेशालय शहरी विकास, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त तालिका के अनुसार, केन्द्रीयकृत एवं अकेन्द्रीयकृत, दोनों संवर्गों में कर्मचारियों की कमी है। केन्द्रीयकृत संवर्ग में कर्मचारियों की कमी का *प्रतिशत* पिछले वर्ष में कर्मचारियों की स्थिति की तुलना में अपरिवर्तित रहा जैसा कि वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में बताया गया है। तथापि, 2017-19 के दौरान अकेन्द्रीयकृत संवर्ग में कमी 28 *प्रतिशत* से बढ़कर 56 *प्रतिशत* हो गई है। जब तक पर्याप्त कर्मचारी पदस्थ नहीं होंगे, तब तक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी तरीके से कार्य करना संभव नहीं है।

3.8 स्थानीय निकायों की वित्तीय रूपरेखा

3.8.1 शहरी स्थानीय निकायों में निधि प्रवाह

शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व का आधार स्वयं का राजस्व, केंद्रीय वित्त आयोग (के वि आ) अनुदान, राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) अनुदान, केंद्रपोषित योजनाओं (के पो यो) के लिए केंद्र सरकार से अनुदान और राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुदान है। स्वयं के राजस्व का आधार 'कर' एवं 'करेत्तर' राजस्व है जो उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम' 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2002 और उत्तर प्रदेश नगरपालिका परिषद अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन), 2001 में निहित नियमों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाते है।

3.8.2 शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों का विवरण नीचे ***तालिका-3.3 (अ)*** में वर्णित है:

तालिका-3.3(अ): शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के समयवार आंकड़े

(₹ करोड़ में)

शहरी स्थानीय निकायों के संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्वयं का राजस्व	67.56	86.12	97.43	180.41	130.07
के वि आ स्थानांतरण (केंद्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण)	29.12	22.27	41.55	107.56	108.69
रा वि आ स्थानांतरण (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	254.04	254.04	254.11	579.78	591.97
केंद्रपोषित योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान	54.28	72.68	119.33	91.61	162.35
राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुदान	26.03	46.88	29.56	26.66	7.84
योग	***431.03***	***481.99***	***541.98***	***986.02***	***1,000.92***

स्रोत : निदेशालय शहरी विकास, उत्तराखण्ड।

3.8.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्तियाँ एवं संयोजन

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में संसाधनों के अनुप्रयोग का विवरण नीचे ***तालिका-3.3 (ब)*** में वर्णित है:

[1] आउटसोर्स कर्मचारी।

तालिका-3.3(ब): शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग का समयवार आंकड़े

(₹ करोड़ में)

संसाधनों का अनुप्रयोग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स्वयं के संसाधनों से व्यय	63.91	78.14	87.68	108.00	87.28
केंद्रीय वित्त आयोग स्थानांतरण से व्यय (वित्त आयोग हस्तांतरण)	23.73	19.27	0.00	41.51	102.08
राज्य वित्त आयोग स्थानांतरण से व्यय (राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण)	250.41	252.79	249.02	426.61	436.79
केंद्रपोषित योजनाओ के सापेक्ष व्यय	9.29	54.30	39.43	44.59	133.68
राज्य योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये गए अनुदान से व्यय	11.26	8.26	23.65	3.57	7.84
कुल व्यय (उपलब्ध निधि के सापेक्ष व्यय की प्रतिशतता)	***358.60 (83)***	***412.76 (86)***	***399.78 (74)***	***624.28 (63)***	***767.67 (77)***

स्रोत: निदेशालय शहरी विकास, उत्तराखण्ड।

सम्पूर्ण रूप में देखा जाये तो वर्ष 2014-19 की अवधि में संसाधनों का अनुपयोग 14 *प्रतिशत* से 37 *प्रतिशत* तक अप्रयुक्त रहा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान आवंटित निधि का मात्र क्रमश: 63 और 77 *प्रतिशत* ही उपयोग किया जा सका।

3.8.3.1 अव्ययित अवशेष

निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में केंद्रीय वित्त आयोग (के वि आ), राज्य वित्त आयोग (रा वि आ) से आवंटित निधि तथा स्वयं एवं अन्य ससाधनों से प्राप्त राजस्व एवं उसके सापेक्ष व्यय और बचत का विवरण नीचे ***तालिका-3.4*** में वर्णित है:

तालिका-3.4: प्राप्ति और व्यय का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	के वि आ से प्राप्तियाँ	रा वि आ से प्राप्तियाँ	स्वयं के संसाधनों से प्राप्तियाँ	अन्य प्राप्तियाँ एवं ब्याज (विभिन्न योजनाओं से संबंधित)	कुल उपलब्ध निधि	व्यय (कुल प्राप्त निधि से *प्रतिशत*)	बचत (कुल प्राप्त निधि का *प्रतिशत*)
2016-17	422.69	41.55	254.11	97.43	148.89	964.67	605.55*(63)*	359.12*(37)*
2017-18	359.12	107.56	579.78	180.41	118.27	1345.14	814.00*(61)*	531.14*(39)*
2018-19	531.14	108.69	591.97	130.07	105.10	1466.97	1068.85*(73)*	398.12*(27)*

स्रोत: निदेशालय शहरी विकास, उत्तराखण्ड।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2016-19 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों का व्यय प्राप्तियों की गति के अनुरूप नही पाया गया। शहरी स्थानीय निकायों का उपलब्ध निधियों के सापेक्ष व्यय 61 से 73 *प्रतिशत* के मध्य रहा। परिणामस्वरूप, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक बड़ी धनराशि अव्ययित पड़ी रही जो निर्धारित अवधि के दौरान अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों की ओर से खराब योजना व क्रियान्वयन का द्योतक है।

3.9 कार्यों का हस्तांतरण

चौहत्तरवें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1992, के अनुसरण में उत्तराखण्ड शासन द्वारा 18 कार्य हस्तांतरित कर शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने थे। इनमें से 14 कार्य शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिये गए हैं तथा चार कार्य अभी हस्तांतरित किए जाने शेष हैं जैसा कि निम्न ***तालिका-3.5 (अ)*** तथा ***तालिका-3.5 (ब)*** में वर्णित है:

तालिका-3.5(अ): कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे और हस्तांतरित कर दिये है

क्र. सं	विवरण
1.	जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
2.	मलिन सुधार और उन्नयन
3.	शहरी गरीबी उन्मूलन
4.	शहरी सुविधाओं और पार्कों, उद्यानों, खेल के मैदानों जैसी सुविधाओं के लिए प्रावधान
5.	अंत्येष्टि और कब्रिस्तान; दाह संस्कार, शमशान घाट और विधुत शवदाहगृह
6.	मवेशी के तालाब, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम
7.	पशु वधशाला और चर्म शोधनालय का नियमन
8.	स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख साधन
9.	आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजना बनाना
10.	दिव्यांग एवं मानसिक रोगी सहित कमजोर वर्ग के लिए सुरक्षात्मक सुविधाएँ विकसित करना
11.	संस्कृति, शिक्षा एवं सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना
12.	सड़कें एवं पुल
13.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
14.	नगर नियोजन सहित शहरी योजना

तालिका-3.5 (ब): कार्य जो शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित नहीं किए हैं

क्र. सं.	विवरण
1.	भूमि का उपयोग और भवन निर्माण के विनियमन
2.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं का संवर्धन
3.	अग्निशमन सेवा
4.	घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पेयजल आपूर्ति

उपरोक्त वर्णित चार कार्यों को राज्य सरकार के विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

3.10 स्थानीय निकायों में लेखांकन प्रणाली

3.10.1 वैधानिक आवश्यकताएँ एवं लेखांकन व्यवस्था

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (जेड) में वर्णित है कि शहरी स्थानीय निकाय में लेखाओं के रख-रखाव के संबंध में नियमों का प्रावधान राज्य करेगा। इसलिए लेखाओं के रख-रखाव से संबन्धित प्रावधान शासी नियमों एवं विनियमों से ही उत्पन्न होते हैं।

3.10.2 लेखांकन का आधार एवं अवधि

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि म ले प) के मार्गदर्शन में शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (रा न ले नि) विकसित की गयी थी (नवम्बर 2004)। इस नियमावली के आधार पर, उत्तराखण्ड सरकार के द्वारा राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के लिए उत्तराखण्ड नगरपालिका लेखा नियमावली (उ न ले नि) तैयार (दिसम्बर 2011) की गयी। राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को उनके लेखों के रखरखाव के लिए दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली अपनाने के निर्देश भी जारी किए हैं। निदेशालय ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि कुल 92 शहरी स्थानीय निकायों में से 2017-18 के लिए मात्र 34 शहरी स्थानीय निकायों और 2018-19 के लिए 78 शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी बैलेंस शीट तैयार की और अंतिम रूप दिया।

3.11 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2017-18 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों की 31 ईकाइयों ***(परिशिष्ट-3.3)*** तथा 2018-19 के दौरान 28 इकाईयों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा संपादित की गयी।

3.11.1 प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा

निदेशक, लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड (पूर्व में उल्लिखित डी एल एफ ए[2]) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की वर्ष 2015-19 की अवधि में संपादित लेखापरीक्षा की स्थिति का विवरण नीचे ***तालिका-3.6*** में वर्णित है:

तालिका-3.6 शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

स्थानीय निकाय	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षित इकाइयाँ
नगर निगम	06	03	06	03	08	02	08	04
नगरपालिका परिषद	32	20	32	18	40	24	40	24
नगर पंचायत	30	20	45	15	34	21	41	22
योग	***68***	***43(63)***	***83***	***36(43)***	***82***	***47(57)***	***89***	***50(56)***

कोष्ठक में दिये गए आंकड़े प्रतिशतता दर्शाते हैं।
स्रोत: निदेशालय लेखापरीक्षा, उत्तराखण्ड।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2015-19 के अवधि के दौरान लेखापरीक्षा आच्छादन केवल 43 *प्रतिशत* और 63 *प्रतिशत* के मध्य था। इसके अलावा, निदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा प्राथमिक लेखापरीक्षक (प्रा ले) के रूप में 2017-18 के दौरान 1,508 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 2018-19 के दौरान 1,956 निरीक्षण प्रतिवेदनों को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को अग्रेषित किया गया था। वर्ष 2017-18 के लिए 311 निरीक्षण प्रतिवेदनों और वर्ष 2018-19 के लिए 500 निरीक्षण प्रतिवेदनों की संवीक्षा पर टिप्पणियों को सुधारात्मक उपाय आरंभ करने के लिए निदेशक (लेखापरीक्षा) को संदर्भित किया गया था। टिप्पणियों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी, प्रतिवेदन पद्धतियों में त्रुटियाँ और लेखापरीक्षा के लिए विषयों के चयन से संबंधित मामले शामिल थे।

3.11.2 लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा स्थानीय निकायों के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के पश्चात राज्य सरकार/ निदेशक शहरी स्थानीय निकाय को निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिसकी एक प्रतिलिपि संबन्धित शहरी स्थानीय निकाय को प्रेषित की जाती है। लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के पश्चात अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी ऐसे प्रस्तरों की त्वरित अनुपालन आख्या हेतु चार सप्ताह की समयावधि निर्धारित है। निरीक्षण प्रतिवेदनों व अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण ***तालिका-3.7*** में नीचे दिया गया है:

[2] निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा।

तालिका-3.7: मार्च 2019 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनिस्तारित प्रस्तरों का वर्षवार विवरण

क्र सं	जारी होने का वर्ष	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (यू एल बी)	अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या (यू एल बी)	वर्ष के दौरान निस्तारित प्रस्तरों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में कुल अनिस्तारित प्रस्तरों की संख्या
1	2012-13 तक	19	180	निरंक	180
2	2013-14	15	83	02	81
3	2014-15	11	88	03	85
4	2015-16	21	118	07	111
5	2016-17	21	129	निरंक	129
6	2017-18	31	175	10	165
7	2018-19	28	126	01	125
योग		***146***	***899***	***23***	***876***

मार्च 2019 तक, 146 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबन्धित 876 प्रस्तर संतोषजनक उत्तर की प्रत्याशा में निस्तारित होने शेष हैं। पर्याप्त प्रतिक्रिया का अभाव शहरी स्थानीय निकायों में गैर-अनुपालन और जवाबदेही के अपक्षरण को दर्शाता है।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय 4: शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

4.1 परिचय

राज्य के छः नगर निगमों (एन एन), 43 नगरपालिका परिषदों (एन पी पी) और 43 नगर पंचायतों (एन पी) में से चार नगर निगमों, 12 एन पी पी और 15 एन पी की लेखापरीक्षा 2017-18 के दौरान की गई तथा राज्य के आठ नगर निगमों[1] (एन एन), 41 नगरपालिका परिषदों (एन पी पी) और 43 नगर पंचायतों (एन पी) में से तीन एन एन, 13 एन पी पी और 12 एन पी की लेखापरीक्षा 2018-19 के दौरान की गई जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है। इन शहरी स्थानीय निकायों (यू एल बी) को अपने स्वयं के राजस्व के स्रोतों के अलावा मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग (के वि आ) और राज्य वित्त आयोग (एस एफ सी) की सिफारिशों पर अनुदान से वित्त पोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने संसाधनों के प्रबंधन में त्रुटि और नियमितता, औचित्य और मितव्ययिता के मापदण्डों के पालन में विफलताओं के कई उदाहरण सामने लाए हैं। इनका वर्णन आगामी प्रस्तरों में किया गया है:

4.2 राजस्व की कम वसूली

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू) में किए गए प्रावधानों के तहत स्थानीय निकायों के लिए करों के रूप में स्वयं का राजस्व संग्रह आवश्यक है। चौदहवें केंद्रीय वित्त आयोग ने जोर देकर कहा कि निष्पादन अनुदान उन नगरपालिकाओं को वितरित किया जाएगा जिनमें अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त, निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड ने भी सभी शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश[2] (जुलाई 2014) दिया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों का संग्रह 90 *प्रतिशत* से अधिक होना चाहिए।

4.2.1 गृह कर का कम संग्रहण

वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 12 शहरी स्थानीय निकायों ***(परिशिष्ट-4.2)*** के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कोई भी शहरी स्थानीय निकाय 2016-17 और 2017-18 के दौरान 90 *प्रतिशत* से अधिक गृह कर, जैसा कि निदेशालय द्वारा निर्देशित किया गया था, एकत्र करने में सक्षम नहीं थी। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि गृह कर की मांग के सापेक्ष वसूली 13 से 74 *प्रतिशत* के बीच थी। बारह में से छः शहरी स्थानीय निकाय मांगे गए कुल कर के सापेक्ष 50 *प्रतिशत* गृह कर भी वसूल नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने कोई निष्पादन अनुदान प्राप्त नहीं किया और ये शहरी स्थानीय निकायेँ गृह कर का संग्रहण कर अपने स्वयं के संसाधनों को बढ़ाने में विफल रहे।

---

[1] एन पी पी ऋषिकेश तथा एन पी पी कोटद्वार 2018-19 में नगर निगम में उच्चीकृत हुये।

[2] संख्या 760/श.वि.नि.-1213/अधि.नि./2008/2014 दिनांकित 17 जुलाई 2014।

लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने पर शहरी स्थानीय निकायों ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि मानव संसाधन की कमी के कारण पूर्ण संग्रहण प्राप्त नहीं किया जा सका। शहरी स्थानीय निकायों ने आगे अवगत कराया कि गृह कर की पूर्ण वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

कम कर संग्रहण ने न केवल शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं को बाधित किया, क्योंकि बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए निधियाँ उपलब्ध नहीं थीं, बल्कि शहरी स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान प्राप्त करने से भी वंचित किया। राज्य सरकार को शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त मानव संधासन प्रदान करने चाहिए ताकि शहरी स्थानीय निकाय उन्हें सौंपे गए कार्यों को करने में सक्षम हों और राजस्व संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में योग्य हों सकें।

4.2.2 ₹ 2.01 करोड़ के दुकान के किराये की वसूली न होना

सात शहरी स्थानीय निकायों में यह देखा गया कि 31 मार्च 2017 तक ₹ 138.39 लाख के किराये के प्रभार की वसूली लंबित थी और चार शहरी स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2018 तक ₹ 62.52 लाख की वसूली लंबित थी। किराया प्रभार उन व्यक्तियों के विरुद्ध लंबित था, जिन्हें इन शहरी स्थानीय निकायों के स्वामित्व वाली दुकानें आवंटित की गई थीं ***(परिशिष्ट-4.3)***।

संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने अवगत कराया कि बकायादारों को नोटिस दिया जाएगा और राशि शीघ्र वसूल की जाएगी।

4.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का अनुपालन न किया जाना

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियमावली 2000 के अनुसार, प्रत्येक नगरीय प्राधिकरण नगरीय ठोस अवशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए जिम्मेदार है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली 2000 को संशोधित करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 तैयार किए गए जो नगरपालिका क्षेत्रों की सीमाओं के बाहर भी लागू हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की विभिन्न धाराओं के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे:

- इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उप-नियम बनाए और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करे {धारा 15 (ई)};
- सुनिश्चित करें कि सुविधा संचालक ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले सभी कार्मिकों को वर्दी, फ्लोरोसेंट जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त फुटवियर और मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उप-करण प्रदान करें और उनका उपयोग कार्मिकों द्वारा किया जाए {धारा 15 (जेड डी)};
- आगामी वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पहले फॉर्म IV में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करें और उसे आयुक्त अथवा निदेशक, नगरपालिका प्रशासन या नामित अधिकारी को प्रस्तुत करें {धारा 15 (जेड ए)}; तत्पश्चात, वार्षिक रिपोर्ट राज्य शहरी विकास विभाग या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को हर साल 31 मई तक भेजे {धारा 15 (जेड बी)}; और

- संविदा कर्मियों और पर्यवेक्षकों सहित, कर्मियों को घर-घर जाकर अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने और प्राथमिक और माध्यमिक परिवहन के दौरान गैर-मिश्रित कचरे को प्रसंस्करण या निपटान सुविधा तक ले जाने के लिए शिक्षित करें {धारा 15 (जेड सी)};

2016-17 एवं 2017-18 की अवधि से संबंधित क्रमशः सात एवं चार शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों (***परिशिष्ट-4.4***) की जांच में पाया गया कि नगरपालिका परिक्षेत्र में उत्पन्न कुल 170 मीट्रिक टन में से 153.7 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट घरों से बिना वैज्ञानिक पृथक्करण के एकत्र किया जा रहा था और सामुदायिक कूड़ेदान भी नगरपालिका क्षेत्रों में नहीं रखे गए थे। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि:

- ठोस अपशिष्ट और लैंडफिल के प्रसंस्करण के लिए उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू ई पी पी सी बी) से कोई प्राधिकरण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था, जैसा कि नियम 15 (वाई) के तहत आवश्यक था;
- नगरपालिका परिषद हरबर्टपुर को छोड़कर वार्षिक प्रतिवेदन शहरी विकास निदेशालय एवं यू ई पी पी सी बी को नहीं भेजा जा रहा था जैसा कि नियम 24 (2) के अधीन आवश्यक था;
- नियम 15 (वी) और 15 (डब्ल्यू) के तहत आवश्यक था कि नगरपालिका सीमा के भीतर कम्पोस्ट संयंत्र, प्रसंस्करण इकाई और वैज्ञानिक लैंडफिल उपलब्ध हों। इसके ना होने के परिणामस्वरूप वन भूमि पर असंसाधित एकत्रित अपशिष्ट का अनधिकृत डंपिंग हुआ; तथा
- ठोस कचरे के पृथक्करण और संग्रह में लगे श्रमिकों को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (आई) के अंतर्गत आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शहरी स्थानीय निकायों ने तथ्यों एवं आँकड़ों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि वाहनों की कमी के कारण संपूर्ण ठोस अपशिष्ट एकत्र नहीं किया जा सका और ठोस अपशिष्ट को कम्पोस्ट संयंत्र, प्रसंस्करण इकाई एवं वैज्ञानिक लैंडफिल इकाई की अनुपलब्धता के कारण अलग नहीं किया जा सका।

4.4 सेवानिवृत्त/ सेवारत कर्मचारियों की ₹ 52.88 करोड़ की देयता का सृजन

नगर निगम हरिद्वार, नगरपालिका परिषद रामनगर, टनकपुर और नगर निगम हल्द्वानी के अभिलेखों से पाया गया कि पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन/बकाया के सापेक्ष नगर निगम हरिद्वार, नगरपालिका परिषद टनकपुर और रामनगर की देनदारियां क्रमशः ₹ 14.67 करोड़, ₹ 1.66 करोड़ और ₹ 2.19 करोड़ थीं। इसके अतिरिक्त , नगर निगम हरिद्वार के पास सेवारत कर्मचारियों की उनके वेतन बकाया और पी एफ योगदान की जनवरी 2006 से मार्च 2017 की अवधि की ₹ 7.07 करोड़ की देनदारी थी। आगे, नगर निगम हल्द्वानी के पास ₹ 27.28 करोड़ की देनदारियां थीं। नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों की देनदारियों का विवरण ***परिशिष्ट-4.5*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, नगर निगमों ने इस तथ्य को स्वीकार किया और अवगत कराया कि निधियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं किया जा सका और सरकार से इसके लिए निधियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। नगरपालिका परिषद टनकपुर ने अवगत कराया कि शहरी स्थानीय निकाय में छठा वेतन आयोग लागू होने के कारण नगरपालिका परिषद के

सीमित स्रोतों के कारण भुगतान नहीं किया जा सका; और मामला सरकार को भेज दिया गया है। नगरपालिका परिषद रामनगर ने अवगत कराया कि सेवानिवृत कर्मचारियों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अनुदान के उपलब्ध होते ही कर दिया जायेगा।

नगर निगम/ नगरपालिका परिषद के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने शहरी विकास विभाग को पहले ही निर्देश दे दिया था कि शहरी स्थानीय निकायों में छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न अतिरिक्त बोझ को संबंधित शहरी स्थानीय निकायों को अपने संसाधनों से वहन करना होगा और सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

4.5 नई अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन

उत्तराखण्ड सरकार (उ स) के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2005 के अनुसार, सरकारी सेवाओं में सभी नए प्रवेशकों और सरकार के नियंत्रण में सभी स्वायत्त निकायों में नई अंशदायी पेंशन योजना (एन पी एस) का कार्यान्वयन 01 अक्टूबर 2005 से अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तराखण्ड़ सरकार ने अपने आदेश दिनांक 21 नवंबर 2007 के द्वारा आगे स्पष्ट किया था कि जब तक उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन फंड के लिए फंड मैनेजर की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक स्वायत्त निकायें और स्थानीय निकायें, जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी और एकीकृत वेतन और लेखा प्रणाली के तहत वेतन का वितरण नहीं किया जा रहा था, राष्ट्रीयकृत बैंकों में या ऐसी एजेंसियों में एन पी एस के योगदान का सुरक्षित निवेश करेंगे, जहां ब्याज दर जी पी एफ की दर से कम नहीं होगी, तथा फंड मैनेजर की नियुक्ति होने पर एन पी एस की राशि ब्याज एवं प्रत्येक कर्मचारी के विवरण सहित फंड मैनेजर[3] को हस्तांतरित कर दी जाएगी।

2018-19 के दौरान नमूना जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों[4] में यह पाया गया कि इनमें से किसी भी शहरी स्थानीय निकाय ने योजना के प्रावधानों के अनुसार योजना के प्रारंभ होने के 12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एन पी एस के प्रावधानों को लागू नहीं किया है। नमूना जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों में अनियमितताओं का विवरण ***परिशिष्ट-4.6*** में दिया गया है। तथापि, प्रमुख टिप्पणीयाँ नीचे दी गई हैं:

- नमूना जांच किए गए 15 शहरी स्थानीय निकायों के किसी भी कर्मचारी को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पी आर ए एन) जारी नहीं किया गया था तथा कर्मचारियों और/या नियोक्ताओं के अंशदान को न्यूनतम ब्याज दर के साथ बचत बैंक खातों में जमा किया जा रहा था।
- सात नगरपालिका परिषदों[5] में न तो नियोक्ता के हिस्से का अंशदान और न ही कर्मचारियों के अंशदान को काटकर एन पी एस खातों में जमा किया जा रहा था। एन पी एस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए कोई व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं खोला गया था।
- नगरपालिका परिषद श्रीनगर में केवल नियोक्ता के योगदान को परिलब्धियों के निर्धारित 10 *प्रतिशत* के सापेक्ष 12 *प्रतिशत* की दर से प्रत्येक कर्मचारियों के एन पी एस बचत बैंक खाते में जमा किया जा रहा था। तथापि, कर्मचारियों के वेतन से 10 *प्रतिशत* अनिवार्य कटौती एवं एन पी एस के बचत बैंक खातों में जमा नहीं की जा रहीं थी।

---

[3] शहरी विकास निदेशालय का फंड मैनेजर के रूप में पंजीकरण एन एस डी एल से अभी तक अपेक्षित है।

[4] नगर निगम:- देहरादून और हरिद्वार, नगरपालिका परिषद:- मसूरी, नैनीताल, किच्छा, श्रीनगर, लक्सर, मंगलौर, पौड़ी, टनकपुर, जोशीमठ, हरबर्टपुर, अल्मोड़ा, नगर पंचायत:- सुल्तानपुर तथा कीर्तिनगर।

[5] नगरपालिका परिषद:- मसूरी, नैनीताल, मंगलौर, पौड़ी, टनकपुर, जोशीमठ तथा हरबर्टपुर।

- नगरपालिका परिषद पौड़ी, लक्सर और नगर पंचायत कीर्तिनगर में कर्मचारियों का एन पी एस अंशदान एकल पालिका पेंशन खाते में जमा किया जा रहा था और कोई अलग खाता नहीं रखा जा रहा था।

यह इंगित किये जाने पर, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड ने अवगत कराया कि केन्द्रीकृत कर्मचारियों के लिए अलग से खाते खोले गए हैं, जिसमें इकाइयों से एन पी एस अंशदान एकत्र कर एन एस डी एल को हस्तांतरित किया जाएगा। निदेशालय ने यह भी बताया कि शहरी स्थानीय निकायों ने गैर-केन्द्रीकृत कर्मचारियों के एन पी एस से संबंधित सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए, राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में एन पी एस अभी भी अक्रियाशील था।

4.6 अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क की कम वसूली

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची (1) (बी) की धारा 16 और अनुच्छेद 35 में सरकारी राजस्व में वृद्धि के लिए अचल संपत्ति के पट्टे/समझौता या हस्तांतरण पर स्टाम्प शुल्क लगाने का प्रावधान है।

महानिरीक्षक (निबंधन), उत्तराखण्ड सरकार ने भी दोहराया[6] था कि पट्टा समझौता/संपत्ति विलेख का हस्तांतरण अनुबंध के कुल मूल्य के दो *प्रतिशत* मूल्य के स्टाम्प पर किया जाना था।

2017-18 और 2018-19 के दौरान दस शहरी स्थानीय निकायों[7] के अभिलेखों की जांच से पाया गया कि इन शहरी स्थानीय निकायों ने 2016-18 की अवधि के दौरान अचल संपत्ति पर ₹ 33.42 लाख के आवश्यक स्टाम्प शुल्क के सापेक्ष केवल ₹ 0.11 लाख स्टाम्प शुल्क एकत्र किया, जिससे सरकार को ₹ 33.31 लाख[8] के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि स्टाम्प शुल्क का कम संग्रहण संबंधित सरकारी आदेशों की कमी के कारण था और आश्वासन दिया कि बकाया स्टाम्प शुल्क की वसूली की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार संबंधित अधिकारियों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण पट्टा/अनुबंध करते समय किया जाना था तथा महानिरीक्षक (निबंधन) उत्तराखण्ड का आदेश केवल स्टाम्प शुल्क अधिनियम में पहले से ही उल्लिखित बातों की पुनरावृत्ति थी।

4.7 ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न किया जाना

उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं (जनवरी 2013, फरवरी 2016 एवं मई 2016) के अनुसार नदी तल या अन्य स्थानों से निर्माण हेतु निकाली गई सामग्री के लिए निर्धारित दरों के अनुसार ठेकेदार के बिलों से रॉयल्टी की कटौती की जानी थी। यह रॉयल्टी संबंधित लेखा शीर्षों (0853-खान एवं खनिज) में जमा की जानी थी।

---

6 संख्या 375/आई जी (आर)/2012-13 दिनांक 13.07.2012।

7 नगर निगम हरिद्वार, नगरपालिका परिषद बागेश्वर, नगरपालिका परिषद किच्छा, नगरपालिका परिषद लक्सर, नगरपालिका परिषद पौड़ी, नगरपालिका परिषद रामनगर, नगर पंचायत केलाखेड़ा, नगर पंचायत सुलतानपुर पट्टी, नगरपालिका परिषद नैनीताल एवं नगर निगम कोटद्वार।

8 (i) नगर निगम हरिद्वार: ₹ 2,98,560 (ii) नगरपालिका परिषद बागेश्वर: ₹ 22,869 (iii) नगरपालिका परिषद किच्छा: ₹ 2,02,066 (iv) नगरपालिका परिषद लक्सर: ₹ 44,294 (v) नगरपालिका परिषद पौड़ी: ₹ 36,741 (vi) नगरपालिका परिषद रामनगर: ₹ 2,12,055 (vii) नगर पंचायत केलाखेड़ा: ₹ 72,180 viii) नगर पंचायत सुल्तानपुर: ₹ 1,62,580 (ix) नगरपालिका परिषद नैनीताल ₹ 22,33,159 एवं (x) नगर निगम कोटद्वार: ₹ 46,425। **कुल: ₹ 33,30,929।**

नगरपालिका परिषद मंगलौर, नरेंद्र नगर, पौड़ी, ऋषिकेश, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक, नगरपालिका परिषद गोपेश्वर और नगर निगम कोटद्वार के अभिलेखों की जांच (2017-19) के दौरान यह पाया गया कि 131 निर्माण कार्यों पर ₹ 13.52 लाख[9] की रॉयल्टी की राशि ठेकेदारों से उनके द्वारा लघु खनिजों के निष्कर्षण पर वसूल की जानी थी। तथापि, उनके बिलों से इसकी कटौती नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹ 13.52 लाख की रॉयल्टी का नुकसान हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित ठेकेदारों से वसूली के बाद रायल्टी संबंधित लेखा शीर्ष में जमा करायी जायेगी।

4.8 ₹ 9.31 लाख का निष्फल व्यय

जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) की योजनाओं के अंतर्गत नगरपालिका परिषद, नैनीताल द्वारा स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) के अनुसार ₹ 9.31 लाख की लागत से दो वाहन[10] खरीदे (जून 2013) गए। दोनों वाहनों को घर-घर जाकर कूड़ा संग्रहण और लैंडफिल तक कचरा परिवहन की सेवाएं देने के लिए क्रय किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा की तिथि (अप्रैल 2018) तक पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों वाहनों का एक किलोमीटर तक भी उपयोग नहीं किया गया था तथा वह खरीद की तिथि से अनुपयोगी पड़े थे।

इंगित किए जाने पर, नगरपालिका परिषद ने उत्तर दिया कि वाहनों को कचरा ट्रेंचिंग/कम्पोस्टिंग ग्राउंड तक ले जाने के लिए खरीदा गया था लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सका। इसलिए, नगरपालिका परिषद खरीद के बाद से वाहनों का उपयोग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.31 लाख की धनराशि अवरुद्ध हुई। भौतिक सत्यापन के दौरान यह देखा गया कि दोनों वाहन खराब हालत में अनुपयोगी पड़े थे।

4.9 श्रमिक उप-कर की कटौती न किया जाना

भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 और "भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उप-कर नियम, 1998" के अनुसार, उक्त अधिनियम के तहत गठित भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा किए गए निर्माण की लागत पर एक *प्रतिशत* की दर से उप-कर लगाया और एकत्र किया जाएगा।

उपरोक्त के अनुपालन में, राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी (मई 2012) की जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक प्रतिष्ठान, जो किसी भी भवन या सन्निर्माण कार्यों में 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देता है, अधिनियम के तहत व्यक्तिगत आवासीय घरों सहित जिनके निर्माण की कुल लागत ₹10 लाख से अधिक है, उप-कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

एक नगर निगम[11] और दो नगरपालिका परिषदों[12] के अभिलेखों की जांच से पाया गया कि 2016-17 से 2017-18 की अवधि के दौरान ₹ 6.09 करोड़ की लागत के 40 निर्माण कार्य किए गए,

---

[9] (i) नगरपालिका परिषद मंगलौर: ₹ 1,87,207 (ii) नगरपालिका परिषद नरेंद्र नगर: ₹ 2,73,366 (iii) नगरपालिका परिषद पौड़ी: ₹ 27,763 (iv) नगरपालिका परिषद ऋषिकेश: ₹ 5,31,610 (v) नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक: ₹ 45,470 (vi) नगरपालिका परिषद गोपेश्वर: ₹ 1,12,712 तथा (vii) नगर निगम कोटद्वार: ₹ 1,74,249 ।

[10] दो बिन डंपर प्लेसर ढांचा दो कूड़ा बिन सहित।

[11] नगर निगम कोटद्वार।

[12] नगरपालिका परिषद गोपेश्वर तथा नगरपालिका परिषद मसूरी।

लेकिन ₹ 6.09 लाख की राशि का श्रम उप-कर ठेकेदारों के बिलों से नहीं काटा गया, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के अलावा अधिसूचना का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर उक्त नगरीय स्थानीय निकायों के अधिशासी अधिकारियों ने उत्तर दिया कि भविष्य में श्रम उप-कर की कटौती सुनिश्चित की जायेगी। तथापि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.10 बिना कोई व्यय किए ₹ 40 लाख मूल्य के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाना

तृतीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों (नवंबर 2015) पर नगरपालिका परिषद नैनीताल को दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय के नवीनीकरण के लिए स्वीकृत कार्य योजना ₹ 56.41 लाख के सापेक्ष ₹ 40 लाख प्रथम किस्त के रूप प्राप्त (नवंबर 2015) हुए। तथापि, यह पाया गया (अप्रैल 2018) कि नगरपालिका परिषद ने बिना कोई खर्च किए पूरी राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड सरकार को अग्रेषित कर (अप्रैल 2016) दिये। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका परिषद ने अवशेष धनराशि जारी करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार से अनुरोध भी किया था, जिसे अभी जारी (मई 2018) किया जाना शेष था।

नगरपालिका परिषद ने अवगत कराया (मई 2018) कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र गलती से भेजे गए थे और इस संबंध में सरकार के साथ पत्राचार किया जा रहा था।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 07 अक्टूबर 2021

(योगेश अग्रवाल)
उपमहालेखाकार (स्थानीय निकाय)

प्रतिहस्ताक्षरित

स्थान : देहरादून
दिनांक : 07 अक्टूबर 2021

(**प्रवीन्द्र यादव**)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
उत्तराखण्ड

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भः प्रस्तर सं. 1.3; पृष्ठ सं. 2)

उत्तराखण्ड में पंचायतों की जिलेवार संख्या

क्र. सं.	जिले का नाम	क्षेत्र पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	11	1,166
2.	उधम सिंह नगर	07	376
3.	चंपावत	04	313
4.	नैनीताल	08	479
5.	पिथौरागढ़	08	686
6.	बागेश्वर	03	407
7.	उत्तरकाशी	06	508
8.	चमोली	09	610
9.	टिहरी	09	1,035
10.	देहरादून	06	401
11.	पौड़ी गढ़वाल	15	1,174
12.	रुद्रप्रयाग	03	336
13.	हरिद्वार	06	302
	योग	***95***	***7,793***

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.7; पृष्ठ सं. 7)

लेखापरीक्षा निदेशालय में मानवशक्ति की व्यवस्था

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद				कमी प्रतिशतता में
		सहकारी तथा स्थानीय निधि अनुभाग		लेखापरीक्षा निदेशालय		
		स्वीकृत	कर्मचारियों की तैनाती	स्वीकृत	कर्मचारियों की तैनाती	
1.	निदेशक	-	-	01	01	*0*
2.	अतिरिक्त निदेशक	-	-	02	-	*100*
3.	संयुक्त निदेशक	-	-	04	-	*100*
4.	उप निदेशक	-	-	08	2	*75*
5.	लेखापरीक्षा अधिकारी संवर्ग	-	-	50	12	*76*
6.	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	-	-	110	36	*33*
			योग	***175***	***51***	

स्रोत: लेखापरीक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 1.8; पृष्ठ सं. 8)

भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत विषयों का हस्तांतरण

हस्तान्तरित विषय	**विषय जिनका हस्तान्तरण होना है**
1. पेयजल	**1.** भूमि सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि चकबंदी और मृदा संरक्षण
2. ग्रामीण आवास	**2.** पशुपालन, दुग्ध और कुक्कुट पालन
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	**3.** मत्स्य पालन
4. शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों सहित	**4.** सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी
5. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा	**5.** लघु वन-उपज।
6. पुस्तकालय	**6.** लघु एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित।
7. सांस्कृतिक कार्यक्रम	**7.** खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
8. परिवार कल्याण	**8.** ईंधन और चारा।
9. अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता	**9.** सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन।
10. महिला एवं बाल विकास	**10.** बिजली के वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण।
11. विकलांग और मानसिक रूप से मंद लोगों के कल्याण सहित समाज कल्याण	**11.** गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत।
12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली	**12.** तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।
13. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलागम विकास	**13.** बाजार और मेले।
14. कृषि, कृषि विस्तार सहित।	**14.** कमजोर वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण।
	15. सामुदायिक संपत्ति का रख-रखाव।

परिशिष्ट-2.1
(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1; पृष्ठ सं. 11)

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायतीराज संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	
	2017-18	2018-19
	जिला पंचायतें	
1.	जिला पंचायत, देहरादून	जिला पंचायत, देहरादून
2.	जिला पंचायत, हरिद्वार	जिला पंचायत, हरिद्वार
3.	जिला पंचायत, अल्मोड़ा	जिला पंचायत, अल्मोड़ा
4.	जिला पंचायत, चमोली	जिला पंचायत, चमोली
5.	जिला पंचायत, चम्पावत	जिला पंचायत, चम्पावत
6.	जिला पंचायत, नैनीताल	जिला पंचायत, नैनीताल
7.	जिला पंचायत, रुद्रप्रयाग	जिला पंचायत, बागेश्वर
8.	जिला पंचायत, उधम सिंह नगर	जिला पंचायत, उधम सिंह नगर
9.	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	जिला पंचायत, उत्तरकाशी
10.		जिला पंचायत, पिथौरागढ़
11.		जिला पंचायत, पौड़ी
	क्षेत्र पंचायतें	
1.	क्षेत्र पंचायत, चकराता	क्षेत्र पंचायत, डोईवाला
2.	क्षेत्र पंचायत, रायपुर	क्षेत्र पंचायत, कालसी
3.	क्षेत्र पंचायत, विकास नगर	क्षेत्र पंचायत, सहसपुर
4.	क्षेत्र पंचायत, भिकियासेन	क्षेत्र पंचायत, ताड़ीखेत
5.	क्षेत्र पंचायत, चौखुटिया	क्षेत्र पंचायत, धौलादेवी
6.	क्षेत्र पंचायत, हवालबाग	क्षेत्र पंचायत, द्वारहाट
7.	क्षेत्र पंचायत, सल्ट	क्षेत्र पंचायत, चम्पावत
8.	क्षेत्र पंचायत, स्याल्दे	क्षेत्र पंचायत, पाटी
9.	क्षेत्र पंचायत, ताकुला	क्षेत्र पंचायत, कपकोट
10.	क्षेत्र पंचायत, बागेश्वर	क्षेत्र पंचायत, गरुड़
11.	क्षेत्र पंचायत, दशोली	क्षेत्र पंचायत, घाट
12.	क्षेत्र पंचायत, गैरसैण	क्षेत्र पंचायत, कर्णप्रयाग
13.	क्षेत्र पंचायत, जोशीमठ	क्षेत्र पंचायत, थराली
14.	क्षेत्र पंचायत, बड़कोट	क्षेत्र पंचायत, भगवानपुर
15.	क्षेत्र पंचायत, लोहाघाट	क्षेत्र पंचायत, खानपुर
16.	क्षेत्र पंचायत, बहादराबाद	क्षेत्र पंचायत, नारसन
17.	क्षेत्र पंचायत, लक्सर	क्षेत्र पंचायत, भीमताल
18.	क्षेत्र पंचायत, रुड़की	क्षेत्र पंचायत, कोटाबाग
19.	क्षेत्र पंचायत, बेतालघाट	क्षेत्र पंचायत, ओखलकांडा
20.	क्षेत्र पंचायत, धारी	क्षेत्र पंचायत, रामगढ़
21.	क्षेत्र पंचायत, हल्द्वानी	क्षेत्र पंचायत, दुगड्डा
22.	क्षेत्र पंचायत, रामनगर	क्षेत्र पंचायत, द्वारीखाल
23.	क्षेत्र पंचायत, बीरोंखाल	क्षेत्र पंचायत, एकेश्वर
24.	क्षेत्र पंचायत, (लैंसडाउन) जहरीखाल	क्षेत्र पंचायत, खिर्सू
25.	क्षेत्र पंचायत, नैनीडांडा	क्षेत्र पंचायत, पौड़ी
26.	क्षेत्र पंचायत, पाबौ	क्षेत्र पंचायत, धारचूला
27.	क्षेत्र पंचायत, रिखणीखाल	क्षेत्र पंचायत, मुनस्यारी
28.	क्षेत्र पंचायत, थलीसैण	क्षेत्र पंचायत, मूनाकोट
29.	क्षेत्र पंचायत, यमकेश्वर	क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि
30.	क्षेत्र पंचायत, बेरीनाग	क्षेत्र पंचायत, जखोली
31.	क्षेत्र पंचायत, डीडीहाट	क्षेत्र पंचायत, प्रतापनगर
32.	क्षेत्र पंचायत, गंगोलीहाट	क्षेत्र पंचायत, भिलंगना
33.	क्षेत्र पंचायत, कनालीछीना	क्षेत्र पंचायत, जाखणीधार
34.	क्षेत्र पंचायत, पिथौरागढ़	क्षेत्र पंचायत, कीर्तिनगर
35.	क्षेत्र पंचायत, ऊखीमठ	क्षेत्र पंचायत, बाजपुर
36.	क्षेत्र पंचायत, चम्बा	क्षेत्र पंचायत, काशीपुर
37.	क्षेत्र पंचायत, जौनपुर (थत्यूड़)	क्षेत्र पंचायत, खटीमा
38.	क्षेत्र पंचायत, थौलधार	क्षेत्र पंचायत, चिन्यालीसौड़
39.	क्षेत्र पंचायत, गदरपुर	क्षेत्र पंचायत, नौगाँव
40.	क्षेत्र पंचायत, जसपुर	क्षेत्र पंचायत, पुरोला
41.	क्षेत्र पंचायत, सितारगंज	क्षेत्र पंचायत, पोखरा
42	क्षेत्र पंचायत, रुद्रपुर	क्षेत्र पंचायत, देवाल
43.	क्षेत्र पंचायत, भटवाड़ी	क्षेत्र पंचायत, भैंसियाछाना
44.	क्षेत्र पंचायत, डुंडा	क्षेत्र पंचायत, कोट
45.	क्षेत्र पंचायत, मोरी	क्षेत्र पंचायत, लोमगड़ा

परिशिष्ट-2.2

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.3; पृष्ठ सं. 13)

कटौती न किये गए श्रम उप-कर का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	जनपद	किया गया व्यय	श्रम उप-कर (किये गये व्यय का एक *प्रतिशत*)
1.	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	100.97	1.01
2.	जिला पंचायत, चम्पावत	चम्पावत	950.24	9.50
3.	जिला पंचायत, हरिद्वार	हरिद्वार	2,340.43	23.40
4.	क्षेत्र पंचायत, लक्सर	हरिद्वार	166.48	1.66
5.	क्षेत्र पंचायत, यमकेश्वर	पौड़ी	102.00	1.02
6.	क्षेत्र पंचायत, रुद्रपुर	उधम सिंह नगर	141.39	1.41
7.	क्षेत्र पंचायत, कालसी	देहरादून	102.52	1.03
8.	क्षेत्र पंचायत, भगवानपुर	हरिद्वार	125.17	1.25
9.	क्षेत्र पंचायत, प्रतापनगर	टिहरी	101.89	1.02
10.	क्षेत्र पंचायत, दुगड्डा	पौड़ी	118.86	1.19
11.	क्षेत्र पंचायत, पोखरा	पौड़ी	128.00	1.28
12.	क्षेत्र पंचायत, खिर्सू	पौड़ी	103.35	1.03
13.	क्षेत्र पंचायत, बाजपुर	उधम सिंह नगर	131.18	1.31
14.	क्षेत्र पंचायत, काशीपुर	उधम सिंह नगर	103.28	1.03
15.	क्षेत्र पंचायत, खटीमा	उधम सिंह नगर	114.33	1.14
16.	क्षेत्र पंचायत, भीमताल	नैनीताल	134.33	1.34
17.	क्षेत्र पंचायत, कोटाबाग	नैनीताल	124.07	1.24
18.	क्षेत्र पंचायत, गरुड़	बागेश्वर	105.00	1.05
		महायोग	***5,193.49***	***51.91***

परिशिष्ट-2.3

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.4; पृष्ठ सं. 13)

अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त/व्यय की गयी धनराशि	विलम्ब की अवधि (वर्ष में)
1.	बी ए डी पी[1]	18	115.00	61.66	2
2.	पर्यटन[2]	77	132.39	122.21	2-6
3.	एस एफ सी[3]	46	55.80	55.80	2-5
4.	एम एल ए एल ए डी[4]	617	714.63	493.51	1-5
5.	एम पी एल ए डी[5]	220	318.24	278.86	1-4
6.	मेरा गाँव मेरी सड़क[6]	27	1125.93	703.59	1-3
	योग	***1,005***	***2,461.99***	***1,715.63***	

स्रोत: जि वि अ, जि ग्रा वि अभि एवं जि पं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

[1] वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षित जि पं से संगृहित सूचना।

[2] वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षित जि पं से संगृहित सूचना।

[3] वर्ष 2017-18 में लेखापरीक्षित जि पं से संगृहित सूचना।

[4] वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षित जि वि अ से संगृहित सूचना।

[5] वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में लेखापरीक्षित जि ग्रा वि अभि से संगृहित सूचना।

[6] वर्ष 2018-19 में लेखापरीक्षित जि वि अ से संगृहित सूचना।

परिशिष्ट-2.4

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.5; पृष्ठ सं. 13)

सुसंगत शीर्ष में जमा न किये गये ब्याज का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	जनपद	धनराशि
	लेखापरीक्षा अवधि 2017-18		
1.	जिला पंचायती राज अधिकारी, चम्पावत	चम्पावत	27.84
2.	जिला पंचायत, चम्पावत	चम्पावत	51.66
3.	क्षेत्र पंचायत, जौनपुर	टिहरी	17.84
4.	क्षेत्र पंचायत, थलीसैण	पौड़ी	12.27
5.	क्षेत्र पंचायत, रिखणीखाल	पौड़ी	14.35
6.	क्षेत्र पंचायत, बागेश्वर	बागेश्वर	13.21
7.	क्षेत्र पंचायत, स्याल्दे	अल्मोड़ा	13.46
8.	क्षेत्र पंचायत, बेतालघाट	नैनीताल	10.31
9.	क्षेत्र पंचायत, बेरीनाग	पिथौरागढ़	19.68
		योग	***180.62***
	लेखापरीक्षा अवधि 2018-19		
1.	जिला पंचायती राज अधिकारी, देहरादून	देहरादून	138.00
2.	जिला पंचायत, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	28.96
3.	क्षेत्र पंचायत, ताड़ीखेत	अल्मोड़ा	11.10
4.	क्षेत्र पंचायत, थराली	चमोली	21.35
5.	क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	11.20
6.	क्षेत्र पंचायत, जखोली	रुद्रप्रयाग	12.92
7.	क्षेत्र पंचायत, जाखणीधार	पौड़ी	19.82
8.	क्षेत्र पंचायत, दुगड्डा	पौड़ी	14.42
9.	क्षेत्र पंचायत, पौड़ी	पौड़ी	25.79
10.	क्षेत्र पंचायत, एकेश्वर	पौड़ी	11.46
11.	क्षेत्र पंचायत, भगवानपुर	हरिद्वार	19.05
12.	क्षेत्र पंचायत, खटीमा	उधम सिंह नगर	29.74
13.	क्षेत्र पंचायत, मुनस्यारी	पिथौरागढ़	62.37
14.	क्षेत्र पंचायत, धारचूला	पिथौरागढ़	10.92
15.	क्षेत्र पंचायत, कपकोट	पिथौरागढ़	10.28
16.	क्षेत्र पंचायत, मूनाकोट	पिथौरागढ़	23.99
17.	ग्राम पंचायत, बड़कोट माफी (क्षे पं डोईवाला)	देहरादून	1.04
18.	ग्राम पंचायत, ढकिया कला (क्षे पं काशीपुर)	उधम सिंह नगर	1.82
19.	ग्राम पंचायत, चकरपुर (क्षे पं बाजपुर)	उधम सिंह नगर	1.45
20.	ग्राम पंचायत, मेहरागाँव (क्षे पं भीमताल)	नैनीताल	1.62
21.	ग्राम पंचायत, खेतामानमती (क्षे पं देवाल)	चमोली	1.15
22.	ग्राम पंचायत, पैनगढ़ (क्षे पं थराली)	चमोली	1.22
		योग	***459.67***
		महायोग	***640.29***

परिशिष्ट-2.5

(सन्दर्भः प्रस्तर सं. 2.1.6; पृष्ठ सं. 14)

सुसंगत शीर्ष में जमा न की गयी रॉयल्टी का विवरण

(₹ लाख में)

लेखापरीक्षा अवधि 2017-18			
क्र. सं.	**इकाई का नाम**	**जनपद**	**धनराशि**
1.	क्षेत्र पंचायत, लक्सर	हरिद्वार	1.03
2.	क्षेत्र पंचायत, बिन	पिथौरागढ़	1.29
3.	क्षेत्र पंचायत, बागेश्वर	बागेश्वर	5.01
		योग	***7.33***
लेखापरीक्षा अवधि 2018-19			
1.	जिला पंचायत, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	2.50
2.	क्षेत्र पंचायत, भिलंगना	टिहरी	1.24
3.	क्षेत्र पंचायत, अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	1.82
4.	क्षेत्र पंचायत, बाजपुर	उधम सिंह नगर	2.88
5.	क्षेत्र पंचायत, खटीमा	उधम सिंह नगर	4.76
6.	क्षेत्र पंचायत, मूनाकोट	पिथौरागढ़	1.86
7.	ग्राम पंचायत, बड़कोट माफी (क्षे पं डोईवाला)	देहरादून	1.22
		योग	***16.28***
		महायोग	***23.61***

परिशिष्ट-2.6

(सन्दर्भ: प्रस्तर सं. 2.1.8; पृष्ठ सं. 15)

ग्राम पंचायतों में नकद भुगतान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	जनपद	धनराशि
1.	ग्राम पंचायत ऋषिकेश, क्षे पं डोईवाला	देहरादून	8.96
2.	ग्राम पंचायत बड़कोट, क्षे पं डोईवाला	देहरादून	22.54
3.	ग्राम पंचायत सहसपुर, क्षे पं सहसपुर	देहरादून	89.32
4.	ग्राम पंचायत सरमोली, क्षे पं मुनस्यारी	पिथौरागढ़	9.86
5.	ग्राम पंचायत बजली, क्षे पं पौड़ी	पौड़ी	8.44
6.	ग्राम पंचायत रमतोली, क्षे पं धारचूला	पिथौरागढ़	5.77
7.	ग्राम पंचायत गाठीगाड़ा, क्षे पं मूनाकोट	पिथौरागढ़	5.42
8.	ग्राम पंचायत गागर, क्षे पं पाटी	चम्पावत	8.03
9.	ग्राम पंचायत छतौला, क्षे पं रामगढ़	नैनीताल	5.01
10.	ग्राम पंचायत बोहराकोट, क्षे पं रामगढ़	नैनीताल	5.78
11.	ग्राम पंचायत खालसी, क्षे पं चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	6.89
12.	ग्राम पंचायत जेष्ठवाड़ी, क्षे पं चिन्यालीसौड़	उत्तरकाशी	10.16
13.	ग्राम पंचायत कदियालगाँव, क्षे पं पुरोला	उत्तरकाशी	11.33
14.	ग्राम पंचायत खड्क्यासेम, क्षे पं पुरोला	उत्तरकाशी	6.15
		योग	***203.66***

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.5; पृष्ठ सं. 18)

उत्तराखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों की जिलेवार संख्या (31 मार्च 2019 तक)

क्र. सं.	जनपद का नाम	नगर निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1.	देहरादून	न नि देहरादून	न पा प विकास नगर	न पं सेलाकुई
		न नि ऋषिकेश	न पा प मसूरी	
			न पा प हरबर्टपुर	
			न पा प डोईवाला	
2.	हरिद्वार	न नि हरिद्वार	न पा प मंगलौर	न पं झबरेड़ा
		न नि रुड़की	न पा प लक्सर	न पं लंढ़ौरा
			न पा प शिवालिक नगर	न पं भगवानपुर
				न पं पिरान कलियर
3.	उत्तरकाशी		न पा प उत्तरकाशी	न पं नौगांव
			न पा प बड़कोट	न पं गंगोत्री
			न पा प चिन्यालीसौड़	न पं पुरोला
4.	चमोली		न पा प जोशीमठ	न पं बद्रीनाथ
			न पा प गौचर	न पं नंदप्रयाग
			न पा प कर्णप्रयाग	न पं पोखरी
			न पा प गोपेश्वर	न पं गैरसैंण
				न पं थराली
				न पं पीपलकोटी
5.	टिहरी गढ़वाल		न पा प टिहरी	न पं कीर्तिनगर
			न पा प नरेन्द्रनगर	न पं घनसाली
			न पा प चम्बा	न पं गजा
			न पा प देवप्रयाग	न पं लम्बगाँव
			न पा प मुनिकीरेती-ढालवाला	न पं चमियाला
6.	रुद्रप्रयाग		न पा प रुद्रप्रयाग	न पं केदारनाथ
				न पं अगस्त्यमुनि
				न पं ऊखीमठ
				न पं तिलवाड़ा
7.	पौड़ी गढ़वाल	न नि कोटद्वार	न पा प पौड़ी	न पं स्वर्गाश्रम (जोंक)
			न पा प श्रीनगर	न पं सतपुली
			न पा प दुगड्डा	
8.	पिथौरागढ़		न पा प पिथौरागढ़	न पं गंगोलिहाट
			न पा प धारचूला	न पं बेरीनाग
			न पा प डिडिहाट	
9.	चम्पावत		न पा प चम्पावत	न पं लोहाघाट
			न पा प टनकपुर	न पं बनबसा
10.	अल्मोड़ा		न पा प अल्मोड़ा	न पं द्वाराहाट
			न पा प रानीखेत	न पं भिकियासैंण
				न पं भतरोजखान
11.	बागेश्वर		न पा प बागेश्वर	न पं कपकोट
12.	नैनीताल	न नि हल्द्वानी	न पा प नैनीताल	न पं कालाढूंगी
			न पा प रामनगर	न पं लालकुआ
			न पा प भवाली	न पं भीमताल
13.	उधम सिंह नगर	न नि काशीपुर	न पा प गदरपुर	न पं महुआ डाबरा हरिपुरा
		न नि रुद्रपुर	न पा प जसपुर	न पं सुल्तानपुर
			न पा प बाजपुर	न पं केलाखेड़ा
			न पा प किच्छा	न पं दिनेशपुर
			न पा प सितारगंज	न पं शक्तिगढ़
			न पा प खटीमा	न पं नानकमत्ता
			न पा प महुवाखेड़ा गंज	न पं गुलरभोज

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.6; पृष्ठ सं. 18)

शहरी स्थानीय निकायों में गठित स्थायी समितियों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नगर निगम	नगरपालिका परिषद	नगर पंचायत
1.	देहरादून	न नि देहरादून	न पा प विकासनगर	
			न पा प मसूरी	
			न पा प हरबर्टपुर	
2.	हरिद्वार	न नि रुड़की		
3.	उत्तरकाशी			
4.	चमोली		न पा प गोपेश्वर	
			न पा प जोशीमठ	
			न पा प गौचर	
5.	टिहरी गढ़वाल		न पा प चम्बा	न पं कीर्तिनगर
6.	रुद्रप्रयाग		न पा प रुद्रप्रयाग	
7.	पौड़ी गढ़वाल		न पा प पौडी	
			न पा प श्रीनगर	
8.	पिथौरागढ़		न पा प पिथौरागढ़	
			न पा प डीडीहाट	
9.	चम्पावत			
10.	अल्मोड़ा			
			न पा प अल्मोड़ा	न पं द्वाराहाट
11.	बागेश्वर			
12.	नैनीताल	न नि हल्द्वानी	न पा प नैनीताल	न पं कालाढूंगी
			न पा प भवाली	
13.	उधम सिंह नगर	न नि रुद्रपुर	न पा प गदरपुर	न पं सुल्तानपुर
			न पा प सितारगंज	न पं दिनेशपुर

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 3.11; पृष्ठ सं. 22)

वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाइयों का नाम	
	2017-18	**2018-19**
	नगर निगम	
1.	रुद्रपुर	**1.** हरिद्वार
2.	रुड़की	**2.** हल्द्वानी
3.	हरिद्वार	**3.** कोटद्वार
4.	देहरादून	
	नगरपालिका परिषद	
1.	ऋषिकेश	**1.**रानीखेत-चिनियानौला
2.	मंगलौर	**2.** गोपेश्वर, (चमोली)
3.	किच्छा	**3.** चम्पावत
4.	जोशीमठ	**4.** विकास नगर
5.	नरेन्द्रनगर	**5.** मसूरी
6.	रुद्रप्रयाग	**6.** नैनीताल
7.	पौडी	**7.** नई टिहरी
8.	श्रीनगर	**8.** दुगड्डा
9.	रामनगर	**9.** पिथौरागढ़
10.	टनकपुर	**10.** गदरपुर
11.	अल्मोड़ा	**11.** बाजपुर
12.	बागेश्वर	**12.** बड़कोट
		13. चिन्यालीसौड़
	नगर पंचायत	
1.	हरबर्टपुर	**1.** भिकियासैंण
2.	लक्सर	**2.** कपकोट
3.	लंडौरा	**3.** बद्रीनाथ
4.	पुरोला	**4.** बनबसा
5.	पोखरी	**5.** भगवानपुर
6.	गैरसैंण	**6.** लालकुआँ
7.	कीर्तिनगर	**7.** घनसाली
8.	अगस्त्यमुनि	**8.** सतपुली
9.	स्वर्गाश्रम जोंक	**9.** बेरीनाग
10.	गंगोलीहाट	**10.** केदारनाथ
11.	द्वाराहाट	**11.** महुआडाबरा
12.	भीमताल	**12.** नानकमत्ता
13.	सुल्तानपुर पट्टी	
14.	केलाखेड़ा	
15.	शक्ति गढ़	

परिशिष्ट-4.1
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.1; पृष्ठ सं. 25)

लेखापरीक्षित शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र. सं.	लेखापरीक्षित इकाइयों का नाम	
	2017-18	2018-19
नगर निगम		
1.	रुद्रपुर	1. हरिद्वार
2.	रुड़की	2. हल्द्वानी
3.	हरिद्वार	3. कोटद्वार
4.	देहरादून	
नगरपालिका परिषद		
1.	ऋषिकेश	1. रानीखेत
2.	मंगलौर	2. गोपेश्वर
3.	किच्छा	3. चम्पावत
4.	जोशीमठ	4. विकास नगर
5.	नरेंद्र नगर	5. मसूरी
6.	रुद्रप्रयाग	6. नैनीताल
7.	पौड़ी	7. नई टिहरी
8.	श्रीनगर	8. दुगड्डा
9.	रामनगर	9. पिथौरागढ़
10.	टनकपुर	10. गदरपुर
11.	अल्मोड़ा	11. बाजपुर
12.	बागेश्वर	12. बड़कोट
		13. चिन्यालीसौड़
नगर पंचायत		
1.	हरबर्टपुर	1. भिकियासैंण
2.	लक्सर	2. कपकोट
3.	लंढौरा	3. बद्रीनाथ
4.	पुरोला	4. बनबसा
5.	पोखरी	5. भगवानपुर
6.	गैरसैंण	6. लालकुआं
7.	कीर्तिनगर	7. घनसाली
8.	अगस्त्यमुनी	8. सतपुली
9.	स्वर्गाश्रम जौंक	9. बेरीनाग
10.	गंगोलीहाट	10. केदारनाथ
11.	द्वारहाट	11. महुआडबरा
12.	भीमताल	12. नानकमत्ता
13.	सुल्तानपुर पट्टी	
14.	केलाखेड़ा	
15.	शक्ति गढ़	

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भः प्रस्तर सं. 4.2.1; पृष्ठ सं. 25)

गृह कर का कम संग्रहण

(₹ लाख में)

शहरी स्थानीय निकायों में गृह कर संग्रहण का विवरण								
क्र.सं.	**शहरी स्थानीय निकाय का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**वर्तमान मांग**	**कुल मांग**	**संग्रहित ग्रहकर**	**संग्रहण *प्रतिशत* में**	**अंतिम अवशेष**	**वर्ष**
1.	न पा प अल्मोड़ा	29.87	89.37	119.24	88.50	*74*	30.74	2016-17
2.	न पा प जोशीमठ	7.78	13.62	21.40	14.85	*69*	6.55	
3.	न पा प पौड़ी	73.75	41.95	115.70	31.08	*27*	84.62	
4.	न पा प रामनगर	113.62	83.46	197.08	94.88	*48*	102.20	
5.	न पा प रुद्रप्रयाग	7.28	8.42	15.70	8.48	*54*	7.22	
6.	न पा प श्रीनगर	34.35	18.73	53.08	15.81	*30*	37.27	
7.	न पं केलाखेड़ा	5.71	3.10	8.81	1.24	*14*	7.57	
8.	न पं कीर्तिनगर	0.95	0.76	1.71	0.92	*54*	0.79	
9.	न पं शक्तिगढ़	15.84	11.16	27.00	3.54	*13*	23.46	
10.	न पं सुल्तानपुर	2.19	0.84	3.03	0.55	*18*	2.48	
11.	न पा प गोपेश्वर	14.81	25.69	40.50	21.13	*52*	19.37	2017-18
12.	न नि कोटद्वार	8.17	24.59	32.76	21.76	*66*	11.00	
	योग	***314.32***	***321.69***	***636.01***	***302.74***	***48***	***333.27***	

स्रोतः संबन्धित शहरी स्थानीय निकाय।

परिशिष्ट-4.3
(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.2.2; पृष्ठ सं. 26)

लंबित दुकान किराये का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	श स्था नि का नाम	लंबित दुकान किराया	वर्ष
1.	न पा प श्रीनगर	29.84	2016-17
2.	न पा प रुद्रप्रयाग	5.92	
3.	न पा प पौड़ी	4.47	
4.	न पा प जोशीमठ	22.00	
5.	न पा प अल्मोड़ा	25.79	
6.	न पा प रामनगर	47.21	
7.	न पं सुल्तानपुर पट्टी	3.16	
	योग	***138.39***	
8.	न नि कोटद्वार	4.79	2017-18
9.	न पा प बड़कोट	5.27	
10.	न पा प विकास नगर	13.51	
11.	न पा प गोपेश्वर	38.95	
	योग	***62.52***	
	महायोग	***200.91***	

स्रोत: संबन्धित लेखापरीक्षित इकाई।

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: प्रस्तर 4.3; पृष्ठ संख्या 27)

ठोस अपशिष्ट का विवरण

(मीट्रिक टन में)

क्रम संख्या	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	ठोस अपशिष्ट की मात्रा	संग्रहित ठोस अपशिष्ट	वर्ष
1.	न पा प रुद्रप्रयाग	3.00	2.50	2016-17
2.	न पा प रामनगर	19.00	15.20	
3.	न पा प हरबर्टपुर	4.00	4.00	
4.	न पा प पौड़ी	10.00	8.00	
5.	न पं जोशीमठ	5.00	5.00	
6.	न पा प ऋषिकेश	30.00	22.00	
7.	न पा प सुल्तानपुर पट्टी	3.00	3.00	
8.	न नि हल्द्वानी	80.00	80.00	2017-18
9.	न पा प विकास नगर	8.00	8.00	
10.	न पा प गोपेश्वर	6.00	5.00	
11.	न पं भगवानपुर	2.00	1.00	
	योग	***170.00***	***153.70***	

स्रोत: संबन्धित लेखापरीक्षित इकाई।

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: प्रस्तर सं. 4.4; पृष्ठ सं. 27)

सेवानिवृत्त / सेवारत कर्मचारियों के बकाया के सापेक्ष देयता का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	श स्था नि का नाम	देयता का प्रकार	धनराशि
1.	न नि हरिद्वार	**सेवानिवृत्त कर्मचारी**	
		पेंशन बकाया	885.06
		सेवानिवृत्ति उपदान	463.62
		कर्मचारी भविष्य निधि	5.42
		अवकाश नकदीकरण	31.91
		वेतन/ ए.सी.पी. बकाया	81.12
		सेवारत कर्मचारी	
		वेतन/ ए.सी.पी. बकाया	692.17
		कर्मचारी भविष्य निधि	15.16
		योग	***2,174.46***
2.	न पा प टनकपुर	पेंशन बकाया	120.20
		सेवानिवृत्ति उपदान	34.41
		वेतन/ ए.सी.पी. बकाया	11.40
		योग	***166.01***
3.	न पा प रामनगर	पेंशन बकाया	292.67
		सेवानिवृत्ति उपदान	166.50
		घटाया मई तथा अगस्त 2017 में किया गया भुगतान	240.03
		योग	***219.14***
4.	न नि हल्द्वानी	पेंशन बकाया	1,098.57
		सेवानिवृत्ति उपदान	977.48
		कर्मचारी भविष्य निधि	88.50
		अवकाश नकदीकरण	292.10
		छठे तथा सातवें वेतन आयोग का बकाया	271.58
		योग	***2,728.23***
		महायोग	***5,287.84***

स्रोत: संबन्धित शहरी स्थानीय निकाय।

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: प्रस्तर संख्या 4.5; पृष्ठ संख्या 28)

नयी अंशदायी पेंशन योजना के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों में पायी गयी अनियमितताओं का विवरण

क्रम संख्या	श स्था नि का नाम	लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी अनियमितताएँ
1.	न नि देहरादून	**1.** एन पी एस अंशदान सामान्य ब्याज वाले बचत बैंक खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** कर्मचारियों हेतु एन पी एस लेजर अथवा पासबुक का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था।
2.	न नि हरिद्वार	**1.** एन पी एस अंशदान सामान्य ब्याज वाले बचत बैंक खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** एन पी एस से आच्छादित 127 कर्मचारियों में से 119 कर्मचारियों का माह सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक का एन पी एस अंशदान उनके बैंक खातों में जमा नहीं कराया गया था। शेष आठ कर्मचारियों का बैंक खाता लेखापरीक्षा तिथि तक खुलवाया नहीं गया था।
3.	न पा प किच्छा	**1.** एन पी एस अंशदान सामान्य ब्याज वाले बचत बैंक खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** एन पी एस से आच्छादित 25 कर्मचारियों में से केवल पाँच कर्मचारियों की बैंक पास बुक का ही रख-रखाव किया जा रहा था। एन पी ए लेजर का रख रखाव नहीं किया जा रहा था।
4.	न पा प श्रीनगर	**1.** नियोक्ता का अंशदान (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ते का 12 *प्रतिशत*) सामान्य ब्याज वाले बचत बैंक खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** कर्मचारीयों का एन पी एस अंशदान उनके वेतन से नही काटा जा रहा था।
5.	न पा प लक्सर	**1.** एन पी एस से आच्छादित 12 कर्मचारियों में से केवल छः कर्मचारियों का अंशदान (कर्मचारी तथा नियोक्ता का अंशदान) नगरपालिका द्वारा संचालित खाते में जमा किया जा रहा था। **2.** बाकी छः कर्मचारियों का न तो अंशदान काटा जा रहा था और न ही किसी खाते में जमा करवाया जा रहा था।
6.	न पा प मंगलौर	कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्टूबर 2005 के बाद 10 कर्मचारी नियुक्त हुए थे।
7.	न पा प पौड़ी	**1.** कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 24 कर्मचारी नियुक्त हुए थे। **2.** नगरपालिका परिषद में लागू पुरानी पेंशन योजना की तरह अंशदान (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ते का 12 *प्रतिशत*) को पालिका के पेंशन खाते में जमा किया जा रहा था।
8.	न पा प टनकपुर	कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 19 कर्मचारी नियुक्त हुए थे।

9.	**न पा प जोशीमठ**	1. कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 14 कर्मचारी नियुक्त हुए थे। **2.** तीन कर्मचारियों के सापेक्ष पालिका निधि से पेंशन अंशदान (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ते का 12 *प्रतिशत*) उनके बैंक बचत खातों में जमा कराया जा रहा था।
10.	**न पा प हरबर्टपुर**	कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 10 कर्मचारी नियुक्त हुए थे।
11.	**न पा प अल्मोड़ा**	**1.** नियोक्ता का एन पी एस अंशदान (मूल वेतन+ग्रेड वेतन+महंगाई भत्ते का 10 *प्रतिशत*) सामान्य ब्याज वाले बैंक बचत खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** कर्मचारियों का एन पी एस अंशदान उनके वेतन से नही काटा जा रहा था।
12.	**न पं सुल्तानपुर**	**1.** एन पी एस अंशदान सामान्य ब्याज वाले बैंक बचत खातों में जमा किया जा रहा था। **2.** एन पी एस लेजर में कर्मचारी का अंशदान सामान्य भविष्य निधि अंशदान तथा नियोक्ता का अंशदान एन पी एस अंशदान के रुप में प्रदर्शित किया जा रहा था। **3.** कर्मचारियों द्वारा इन खातों से निरंतर आहरण किया जा रहा था।
13.	**न पं कीर्तिनगर**	कर्मचारी एवं नियोक्ता का एन पी एस अंशदान पुरानी पेंशन योजना हेतु संचालित "पालिका पेंशन खाते" में जमा किया जा रहा था। नगर पंचायत द्वारा कोई व्यक्तिगत एन पी एस अभिलेख नही बनाए जा रहे थे।
14.	**न पा प मसूरी**	कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 10 कर्मचारी नियुक्त हुए थे।
15.	**न पा प नैनीताल**	कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से कोई एन पी एस अंशदान नहीं काटा एवं जमा किया जा रहा था। जबकि नगरपालिका परिषद में 01 अक्तूबर 2005 के बाद 10 कर्मचारी नियुक्त हुए थे।

© प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड
http://agua.cag.gov.in